

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 21 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011

छत्तीसगढ़ राज्य में पशुचिकित्सा, पशु विज्ञान, मत्स्य एवं दुग्ध विज्ञान के विकास हेतु तथा उससे संबंधित और उससे आनुषंगिक विषयों के लिये एक विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसे निगमित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय—एक

प्रारंभिक

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 कहलायेगा. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.
- (3) (एक) इसका विस्तार अनुसूची में सम्मिलित सभी महाविद्यालयों पर होगा.
- (दो) इसका विस्तार इस अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों एवं विनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित अथवा पोषित सभी महाविद्यालयों एवं संस्थानों पर होगा.
- (4) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य शासन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे.
2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो,— परिभाषाएं.
  - (एक) "विद्या परिषद्" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्.
  - (दो) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय अधिनियम 2011;
  - (तीन) "नियत दिनांक" से अभिप्रेत है, धारा 1 की उप-धारा (4) के अंतर्गत नियत दिनांक;
  - (चार) "महाविद्यालय" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय की उपाधि, पत्रोपाधि एवं अन्य शैक्षिक प्रशस्तियों के लिये पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान का अध्ययन पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण अथवा अनुसंधान अथवा विस्तार-शिक्षण के संचालन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या संचालित या सम्बद्ध कोई महाविद्यालय या संस्था;
  - (पांच) "घटक महाविद्यालय" से अभिप्रेत है, कार्य परिषद् द्वारा घटक महाविद्यालय के रूप में घोषित महाविद्यालय;
  - (छः) "दुग्धविज्ञान" से अभिप्रेत है, दुग्ध प्रसंस्करण विज्ञान या दुग्ध-उत्पादों का उत्पादन एवं उसका विपणन;
  - (सात) "संचालक" से अभिप्रेत है, कार्य परिषद् द्वारा समय-समय पर नियुक्त किये जाने वाले अनुसंधान संचालक, विस्तार शिक्षा संचालक, प्रक्षेत्रों का संचालक, शिक्षण का संचालक, चिकित्सालय (क्लीनिकल) एवं अन्य संचालक;

## छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 21 सन् 2011)

## छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011

छत्तीसगढ़ राज्य में पशुचिकित्सा, पशु विज्ञान, मत्स्य एवं दुग्ध विज्ञान के विकास हेतु तथा उससे संबंधित और उससे आनुषंगिक विषयों के लिये एक विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसे निगमित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

## अध्याय-एक

## प्रारंभिक

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 कहलायेगा.
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.
- (3) (एक) इसका विस्तार अनुसूची में सम्मिलित सभी महाविद्यालयों पर होगा.
- (दो) इसका विस्तार इस अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों एवं विनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित अथवा पोषित सभी महाविद्यालयों एवं संस्थानों पर होगा.
- (4) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य शासन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे.
2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो,—
  - (एक) "विद्या परिषद्" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्.
  - (दो) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय अधिनियम 2011;
  - (तीन) "नियत दिनांक" से अभिप्रेत है, धारा 1 की उप-धारा (4) के अंतर्गत नियत दिनांक;
  - (चार) "महाविद्यालय" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय की उपाधि, पत्रोपाधि एवं अन्य शैक्षिक प्रशस्तियों के लिये पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान का अध्ययन पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण अथवा अनुसंधान अथवा विस्तार-शिक्षण के संचालन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या संचालित या सम्बद्ध कोई महाविद्यालय या संस्था;
  - (पांच) "घटक महाविद्यालय" से अभिप्रेत है, कार्य परिषद् द्वारा घटक महाविद्यालय के रूप में घोषित महाविद्यालय;
  - (छः) "दुग्धविज्ञान" से अभिप्रेत है, दुग्ध प्रसंस्करण विज्ञान या दुग्ध-उत्पादों का उत्पादन एवं उसका विपणन;
  - (सात) "संचालक" से अभिप्रेत है, कार्य परिषद् द्वारा समय-समय पर नियुक्त किये जाने वाले अनुसंधान संचालक, विस्तार शिक्षा संचालक, प्रक्षेत्रों का संचालक, शिक्षण का संचालक, चिकित्सालय (क्लीनिकल) एवं अन्य संचालक;

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

परिभाषाएं.

- (आठ) "कार्य परिषद्" से अभिप्रेत है, धारा 22 के अंतर्गत गठित विश्वविद्यालय की कार्य परिषद्;
- (नौ) "विस्तार-शिक्षा" से अभिप्रेत है, पशु ज्ञिकित्सा तथा पशु विज्ञान से संबंधित कृषक प्रशिक्षण, गौ शालाओं, गौ सेवकों एवं अन्य समूहों से तथा कामधेनु उत्पादन एवं विपणन से संबंधित विभिन्न स्तरीय वैज्ञानिक तकनीक से जुड़े शैक्षणिक कार्यक्रमों और इसमें सम्मिलित है, संबंधित शासकीय विभागों के माध्यम से नई तकनीक के प्रदर्शन तथा कृषि प्रक्षेत्रों, गौ शालाओं एवं घरों में किये जाने वाले प्रवर्तन;
- (दस) "संकाय" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का संकाय;
- (ग्यारह) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य शासन;
- (बारह) "छात्रावास" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिये संपोषित अथवा मान्यता प्राप्त आवासीय इकाई;
- (तेरह) "कामधेनु" से अभिप्रेत है, डील्युक्त (हम्प) गोवंश सहित गोवंश की सभी देशी नस्लें एवं उनकी प्रजातियां तथा इसमें सम्मिलित हैं, कामधेनु शल्यक्रिया एवं औषधियां;
- (चौदह) "अध्यादेश" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के अध्यादेश;
- (पंद्रह) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्र. डी-4226/479/202 दिनांक 16 अगस्त 2002 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अन्य पिछड़ा वर्ग;
- (सोलह) "पंचगव्य" से अभिप्रेत है, कामधेनु का गोबर, गोमूत्र, दूध, दही एवं घृत;
- (सत्रह) "विहित" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये परिनियमों या विनियमों द्वारा विहित;
- (अट्ठारह) "विनियम" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के विनियम;
- (उन्नीस) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;
- (बीस) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;
- (इक्कीस) "परिनियम" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के परिनियम;
- (बाईस) "विश्वविद्यालय के विद्यार्थी" से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति जो उपाधि, पत्रोपाधि अथवा अन्य शैक्षिक प्रशस्तियों के लिये पाठ्यक्रम के अध्ययन हेतु सम्यक् रूप से संस्थापित विश्वविद्यालय अथवा उसके महाविद्यालयों में प्रविष्ट हो;
- (तेईस) "विश्वविद्यालय के अध्यापक" से अभिप्रेत है, शिक्षा प्रदान करने एवं/या अनुसंधान करने एवं अनुसंधान का मार्गदर्शन करने एवं/या विस्तार कार्यक्रमों के प्रयोजन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अथवा मान्यता प्राप्त व्यक्ति एवं इसमें वह व्यक्ति सम्मिलित है जिसे परिनियमों द्वारा अध्यापक घोषित किया जाये;

विज्ञान एवं पशुधन खाद्य तकनीकी, पंचगव्य विज्ञान, पशुजगत विज्ञान, जन्तुविज्ञान, वन्य प्राणी, रेशमी कीड़े, मधुमक्खी आदि के विज्ञान का समावेश है और इसमें सम्मिलित हैं, प्राकृतिक संसाधन-प्रबंध, उत्पादन तथा संरक्षण, कृषि अभियांत्रिकी एवं पशुधन से संबंधित तकनीकी, पशु व्यापार-प्रबंध, पशुचिकित्सा एवं पशुपालन-विज्ञान से संबंधित आधारभूत विज्ञान एवं मानविकी तथा कोई अन्य विषय जो पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान से संबंधित समझे जायें;

(पच्चीस) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है, धारा 3 के अंतर्गत स्थापित छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय.

### अध्याय-दो विश्वविद्यालय

3. (1) "छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय" के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जायेगा. विश्वविद्यालय की स्थापना.
- (2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा एवं उसका शाश्वत उत्तराधिकार एवं उसकी सामान्य मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से वाद प्रस्तुत किया जायेगा तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जायेगा.
- (3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय उस स्थान पर होगा जैसा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित किया जाएगा.
4. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे, अर्थात् :- विश्वविद्यालय के उद्देश्य.
- (एक) पशु चिकित्सा एवं पशुविज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में प्रतिभासम्पन्न मानव संसाधन की शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान करना;
- (दो) पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान में ज्ञानवर्धन एवं अनुसंधान में प्रगति को प्रोत्साहित करना;
- (तीन) पशु चिकित्सा एवं पशुविज्ञान में विस्तार-शिक्षा का जिम्मा लेना;
- (चार) राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाओं के साथ संबंधों एवं भागीदारियों को प्रोत्साहित करना;
- (पांच) छत्तीसगढ़ शासन या केन्द्र शासन द्वारा शासित विभाग एवं संगठन जो राज्य में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत हैं, जिन्हें किसी भी नाम से जाना जाता हो, उनके साथ जीवन्त सहलग्नता स्थापित करना एवं सहयोग करना;
- (छः) नवीनतम तकनीकी के साथ बने रहने की दृष्टि से पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थाओं के साथ सहयोग बनाना;
- (सात) मैदानी तकनीकी कार्मिकों के व्यावसायिक विकास एवं कौशल्य उन्नयन के लिये प्रबोधनात्मक प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम चलाना एवं ग्रीष्मकालीन संस्थाएं गठित करना, तकनीकी संगोष्ठियां एवं कार्यशालाएं आयोजित करना तथा सतत् शिक्षा प्रदान करने का प्रबंध करना;
- (आठ) अन्य व्यावसायिक अध्ययनों को संपोषण देने की दृष्टि से बुनियादी विज्ञान के अध्ययन का प्रावधान करना एवं इस प्रकार के अध्ययन विश्वविद्यालय पाठ्यचर्या में सम्मिलित करना;
- (नौ) विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर लिये जाने वाले निर्णयों के अनुरूप उपाधियां, पत्रोपाधियां, प्रमाणपत्र एवं अन्य शैक्षिक प्रशस्तियां प्रदान करना;

विश्वविद्यालय की शक्तियां एवं कार्य.

5.

(दस) विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले निश्चयों के अनुरूप अन्य उद्देश्यों की व्यवस्था करना.

विश्वविद्यालय की शक्तियां एवं कार्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :-

(एक) स्ववित्त रीति सहित पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान में शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान का प्रावधान करना;

(दो) विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से अनुसंधान के निष्कर्षों एवं तकनीकी जानकारियों को प्रसारित करने हेतु प्रावधान करना;

(तीन) पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान में उपाधियां, पत्रोपाधियां एवं अन्य शैक्षिक प्रशस्तियां संस्थापित करना;

(चार) जिन व्यक्तियों ने अन्य किसी विश्वविद्यालय अथवा इस प्रयोजन हेतु मान्यता प्राप्त संस्थाओं में संक्षिप्त पाठ्यक्रम या अनुसंधान या दोनों सहित विश्वविद्यालय में निर्धारित अध्ययन पाठ्यक्रम अथवा अनुसंधान अथवा दोनों का अनुशीलन कर अर्हता अर्जित की हो, उनके लिये अध्ययन पाठ्यक्रम संस्थापित करना तथा परीक्षाएं आयोजित करना एवं उन्हें तदनुसार उपाधि, पत्रोपाधि एवं अन्य प्रशस्तियां प्रदान करना;

(पांच) ऐसी मानद उपाधियां एवं अन्य प्रशस्तियां प्रदान करना जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित की जाये;

(छः) मैदानी कार्यकर्ताओं, पशुपालकों एवं अन्य व्यक्तियों के लिये, जो विश्वविद्यालय में नियमित छात्र के रूप में नामांकित नहीं हैं, व्याख्यान, प्रशिक्षण एवं शिक्षण का प्रावधान करना;

(सात) शैक्षिक अनुसंधान एवं शैक्षिक कार्यक्रमों में अन्य विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, सार्वजनिक या निजी अनुसंधान एवं विकास संगठनों या संस्थाओं के साथ सहयोग करना;

(आठ) महाविद्यालय, अनुसंधान केन्द्र, विज्ञान केन्द्र एवं पशु चिकित्सा एवं पशुविज्ञानों एवं अन्य सम्बद्ध सेक्टरों से सम्बन्धित अन्य संस्थाएं स्थापित करना, चलाना एवं संपोषित करना;

(नौ) महाविद्यालयों, संस्थाओं या इकाइयों को विश्वविद्यालय से संलग्नित करना एवं महाविद्यालयों, संस्थाओं एवं इकाइयों की संलग्नता वापस लेना;

(दस) अध्यापन, अनुसंधान एवं विस्तार-शिक्षा के लिये प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, अनुसंधान केन्द्रों, संस्थाओं एवं संग्रहालयों की स्थापना करना एवं उनका संपोषण करना;

(ग्यारह) अध्यापन, अनुसंधान एवं विस्तार-शिक्षा के पद संस्थापित करना एवं ऐसे पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना;

(बारह) प्रशासनिक एवं अन्य पद निर्माण करना एवं ऐसे पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना;

(तेरह) परिनियमों के अनुरूप अवार्ड प्रशस्तियां, शोधवृत्तियां, छात्रवृत्तियां, प्रदर्शनिया एवं पुरस्कार (मेडल एवं प्राइज) संस्थापित करना;

(चौदह) छात्रावास स्थापित एवं संधारित करना जो छात्रावास विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित न हों, उन्हें मान्यता देना एवं दी गई मान्यता वापस लेना;

- (सोलह) ऐसे शुल्क एवं अन्य प्रभार तय करना एवं उनकी मांग करना एवं उन्हें प्राप्त करना जैसा कि विहित किया जाये;
- (सत्रह) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के आवास, आचरण एवं अनुशासन का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना एवं उनके स्वास्थ्य एवं कल्याण को प्रोत्साहित करने हेतु प्रबंध करना;
- (अट्ठारह) छत्तीसगढ़ राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों एवं अकालग्रस्त क्षेत्रों के संदर्भ में पशु चिकित्सा एवं पशुविज्ञान में अनुसंधान एवं विस्तार-शिक्षा के लिये विशेष प्रावधान करना;
- (उन्नीस) विश्वविद्यालय के लाभ के लिये सूचना ब्यूरो एवं रोजगार केन्द्र स्थापित करना एवं प्रबंध करना;
- (बीस) भारत सरकार एवं राज्य शासन के अधीन सेवाओं में भर्ती के लिये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था करना;
- (इक्कीस) महाविद्यालयों, मान्यता प्राप्त संस्थाओं एवं स्वीकृति प्राप्त संस्थाओं का निरीक्षण करना एवं यह सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाना कि उनमें शिक्षण, अध्यापन और प्रशिक्षण के उचित स्तरों का पालन हो एवं उनमें पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला के पर्याप्त प्रावधान किये गये हों;
- (बाईस) राज्य शासन की स्वीकृति से विश्वविद्यालय के अध्यापकीय, अन्य शैक्षिक एवं गैर अध्यापकीय स्टॉफ के वेतनमानों एवं भत्तों एवं सेवा के सदस्यों के अन्य शर्तों को तय करना एवं उनका नियमन करना;
- (तेईस) विश्वविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त संस्थाओं के छात्र संघों, अध्यापकों, शैक्षिक स्टॉफ एवं अन्य कर्मचारियों के संगठनों को मान्यता प्रदान करने के लिये प्रावधान करना;
- (चौबीस) विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिये अनुदान, वसीयती जमा या अन्य प्रकार से विश्वविद्यालय में सन्निहित होने वाले दानों एवं निधियों के लिये न्यास एवं धर्मादा धारण करना एवं उनका प्रबंध करना एवं इस प्रकार धर्मादा, दानों एवं निधियों का ऐसी रीति में, जो कि विश्वविद्यालय उचित समझे, निवेश करना :
- परन्तु, विश्वविद्यालय द्वारा राज्य शासन के अनुमोदन के बिना किसी विदेशी देश, उस देश के विदेशी प्रतिष्ठान अथवा अन्य व्यक्ति से कोई दान स्वीकार नहीं किया जायेगा;
- (पच्चीस) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, भारतीय औद्योगिक अनुसंधान परिषद् या भारतीय समाज विज्ञान संस्था परिषद् जैसी निधिकरण संस्थाओं से अथवा भारत सरकार एवं राज्य शासन के किसी अन्य विभाग अथवा इसके द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्राधिकरण या निकाय से विशिष्ट एवं अविशिष्ट दोनों प्रकार के अनुदान प्राप्त करना;
- (छब्बीस) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन ऐसे प्रयोजनों के लिये केन्द्र सरकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् अथवा अन्य निगमित निकायों से प्रतिभूतियुक्त अथवा प्रतिभूतिरहित ऋण लेना जैसा कि राज्य शासन द्वारा अनुमोदित किया जाये;
- (सत्ताईस) पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान के लिये चिकित्सालय, रोगनिदान केन्द्र स्थापित करना;
- (अट्ठाईस) ऐसे सभी कार्य करना चाहे वह पूर्वोक्त शक्तियों और कार्यों के आनुषंगिक हो, या न हो, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिये आवश्यक अथवा वांछनीय हों।

- (सोलह) ऐसे शुल्क एवं अन्य प्रभार तय करना एवं उनकी मांग करना एवं उन्हें प्राप्त करना जैसा कि विहित किया जाये;
- (सत्रह) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के आवास, आचरण एवं अनुशासन का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना एवं उनके स्वास्थ्य एवं कल्याण को प्रोत्साहित करने हेतु प्रबंध करना;
- (अट्ठारह) छत्तीसगढ़ राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों एवं अकालग्रस्त क्षेत्रों के संदर्भ में पशु चिकित्सा एवं पशुविज्ञान में अनुसंधान एवं विस्तार-शिक्षा के लिये विशेष प्रावधान करना;
- (उन्नीस) विश्वविद्यालय के लाभ के लिये सूचना ब्यूरो एवं रोजगार केन्द्र स्थापित करना एवं प्रबंध करना;
- (बीस) भारत सरकार एवं राज्य शासन के अधीन सेवाओं में भर्ती के लिये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था करना;
- (इक्कीस) महाविद्यालयों, मान्यता प्राप्त संस्थाओं एवं स्वीकृति प्राप्त संस्थाओं का निरीक्षण करना एवं यह सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाना कि उनमें शिक्षण, अध्यापन और प्रशिक्षण के उचित स्तरों का पालन हो एवं उनमें पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला के पर्याप्त प्रावधान किये गये हों;
- (बाईस) राज्य शासन की स्वीकृति से विश्वविद्यालय के अध्यापकीय, अन्य शैक्षिक एवं गैर अध्यापकीय स्टाफ के वेतनमानों एवं भत्तों एवं सेवा के सदस्यों के अन्य शर्तों को तय करना एवं उनका नियमन करना;
- (तेईस) विश्वविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त संस्थाओं के छात्र संघों, अध्यापकों, शैक्षिक स्टाफ एवं अन्य कर्मचारियों के संगठनों को मान्यता प्रदान करने के लिये प्रावधान करना;
- (चौबीस) विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिये अनुदान, वसीयती जमा या अन्य प्रकार से विश्वविद्यालय में सन्निहित होने वाले दानों एवं निधियों के लिये न्यास एवं धर्मादा धारण करना एवं उनका प्रबंध करना एवं इस प्रकार धर्मादा, दानों एवं निधियों का ऐसी रीति में, जो कि विश्वविद्यालय उचित समझे, निवेश करना :

परन्तु, विश्वविद्यालय द्वारा राज्य शासन के अनुमोदन के बिना किसी विदेशी देश, उस देश के विदेशी प्रतिष्ठान अथवा अन्य व्यक्ति से कोई दान स्वीकार नहीं किया जायेगा;

- (पच्चीस) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, भारतीय औद्योगिक अनुसंधान परिषद् या भारतीय समाज विज्ञान संस्था परिषद् जैसी निधिकरण संस्थाओं से अथवा भारत सरकार एवं राज्य शासन के किसी अन्य विभाग अथवा इसके द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्राधिकरण या निकाय से विशिष्ट एवं अविशिष्ट दोनों प्रकार के अनुदान प्राप्त करना;
- (छब्बीस) इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन ऐसे प्रयोजनों के लिये केन्द्र सरकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् अथवा अन्य निगमित निकायों से प्रतिभूतियुक्त अथवा प्रतिभूतिरहित ऋण लेना जैसा कि राज्य शासन द्वारा अनुमोदित किया जाये;
- (सत्ताईस) पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान के लिये चिकित्सालय, रोगनिदान केन्द्र स्थापित करना;
- (अट्ठाईस) ऐसे सभी कार्य करना चाहे वह पूर्वोक्त शक्तियों और कार्यों के आनुषंगिक हो, या न हो, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिये आवश्यक अथवा वांछनीय हों.

- विश्वविद्यालय में प्रवेश. 6. इस अधिनियम एवं उसके परिनियमों एवं विनियमों के प्रावधानों के अधधीन रहते हुए विश्वविद्यालय, जाति, वंश, धर्म, संप्रदाय एवं लिंग के भेदभाव के बिना, सभी व्यक्तियों के लिये खुला रहेगा.

**अध्याय-तीन**  
**विश्वविद्यालय के अधिकारी**

- विश्वविद्यालय के अधिकारी. 7. विश्वविद्यालय में निम्नलिखित अधिकारी समाविष्ट होंगे, अर्थात् :—
- (एक) कुलाधिपति;  
(दो) कुलपति;  
(तीन) कुलसचिव;  
(चार) वित्त अधिकारी;  
(पांच) महाविद्यालयों के अधिष्ठाता/संकायों के अधिष्ठाता;  
(छः) संचालक; एवं  
(सात) ऐसे अन्य व्यक्ति जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जाएं.
- कुलाधिपति एवं उसकी शक्तियां. 8. (1) छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे.
- (2) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा एवं जब वह उपस्थित रहेगा, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा एवं उपाधियां, पत्रोपाधियां एवं अन्य शैक्षिक प्रशस्तियां उन व्यक्तियों को प्रदान करेगा जो उन्हें ग्रहण करने के लिये पात्र होंगे.
- (3) जहां कुलाधिपति को विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों में व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं, वहां कुलाधिपति उन हितों का, जिनका सम्यक् तौर पर अन्यथा प्रतिनिधित्व नहीं हुआ हो, प्रतिनिधित्व कराने के लिये, आवश्यक सीमा तक व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट करेंगे.
- (4) कुलाधिपति, स्वप्रेरणा से या आवेदन किये जाने पर, किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी के किसी कार्यवाही के अभिलेख को, उसमें लिये गए निर्णय या दिये गए आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में, ऐसी किसी कार्यवाही की नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन से, मंगा सकता है, और उसकी परीक्षा कर सकता है; तथा यदि किसी मामले में कुलाधिपति को ऐसा प्रतीत हो कि ऐसा कोई निर्णय या आदेश उपात्तरित या निरस्त करना, उलटना या पुनर्विचार हेतु प्रतिप्रेषित करना चाहिए, तो तदनुसार वह आदेश पारित कर सकता है :
- परन्तु इस उप-धारा के अधीन शक्तियों के प्रयोग हेतु प्रत्येक आवेदन कुलाधिपति को उस तिथि से तीन माह के भीतर निर्दिष्ट किया जाएगा जिस पर आवेदन से संबंधित कार्यवाही, निर्णय अथवा आदेश आवेदक को संसूचित किया गया था :
- परन्तु यह भी कि किसी व्यक्ति के लिये अहितकर आदेश, तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान नहीं किया जाये.
- (5) कुलाधिपति, ऐसी अन्य शक्तियां प्रयुक्त करेंगे एवं ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करेंगे जो उन्हें इस अधिनियम के द्वारा या इसके अंतर्गत प्रदान किये जाएं या उन पर अधिरोपित किये जाएं.

कुलपति.

9. (1) कुलपति को प्रत्येक नियुक्ति, कुलाधिपति द्वारा, उप-धारा (2) में निर्दिष्ट समिति द्वारा यथा अनुशंसित, प्रख्यात व्यक्तियों के तीन नामों के पैनल में से की जाएगी जो पशु चिकित्सा विज्ञान एवं सम्बद्ध विज्ञान के क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हो, साथ ही जिन्हें न्यूनतम दस वर्ष का शिक्षण अथवा अनुसंधान अथवा विश्वविद्यालयीन प्रशासनिक अनुभव हो एवं ऐसे पैनल में

परन्तु ऐसे व्यक्ति जो पशु चिकित्सा विज्ञान एवं सम्बद्ध विज्ञान में वाचस्पति ( डाक्टरेट) उपाधि धारक हैं साथ ही जिन्हें न्यूनतम दस वर्ष का शिक्षण अथवा अनुसंधान अथवा विश्व-विद्यालयीन प्रशासनिक अनुभव हो, को प्राथमिकता दी जायेगी.

- (2) उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिये, समिति में तीन सदस्य समाविष्ट होंगे, जिनमें से एक कार्यपरिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट होगा एवं एक राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट एवं एक कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा :

परन्तु, इस प्रकार से नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों में, विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी अथवा उसके प्राधिकरण का कोई सदस्य या कोई ठेकेदार अथवा सेवा प्रदायकर्ता नहीं होगा.

- (3) कुलपति का कार्यकाल पांच वर्ष की कालावधि के लिए होगा एवं दूसरी कालावधि के लिए पुनर्नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा :

परन्तु, कोई व्यक्ति, जो पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, कुलपति का पद धारण नहीं करेगा :

परन्तु यह भी कि :—

(क) कुलाधिपति यह निर्देश दे सकता है कि कुलपति, जिसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, वह ऐसी कालावधि के लिये जो छः माह की कुल कालावधि से अधिक न हो, जो कि निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाये, पद में बना रहेगा.

(ख) कुलाधिपति को संबोधित अपने हस्तलिखित पत्र के द्वारा कुलपति अपना पदत्याग कर सकता है.

- (4) यदि किसी समय, अभ्यावेदन किये जाने पर या अन्यथा तथा ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि आवश्यक समझे यदि कुलाधिपति को यह प्रतीत होता है कि कुलपति ने :—

(क) इस अधिनियम के द्वारा या इसके अंतर्गत उसे सौंपे गए किन्हीं दायित्वों के निर्वहन में व्यतिक्रम किया है, अथवा

(ख) विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल रीति में कार्य किया है, अथवा

(ग) विश्वविद्यालय के कार्यों के प्रबंधन में असमर्थ होने पर, कुलाधिपति, इस तथ्य के होते हुए भी, कि कुलपति की पदावधि समाप्त नहीं हुई है, लिखित में आदेश द्वारा, उसमें कारणों को दर्शाते हुए, ऐसे दिनांक से जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, कुलपति से अपने पदत्याग के लिये अपेक्षा कर सकेगा.

- (5) उप-धारा (4) के अंतर्गत तब तक कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि प्रस्तावित कार्यवाही के विशिष्ट कारणों से कुलपति को अवगत न कराया जाए एवं प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण बताने का उसे युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो.

- (6) जब कुलपति का पद अस्थायी रूप में रिक्त हो अथवा कुलपति अस्वस्थता के कारण अनुपस्थित हो अथवा किन्हीं अन्य कारणों से अपनी शक्तियों को प्रयुक्त करने एवं अपने पद के दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ हो तो, कुलाधिपति, यथासंभव शीघ्र, शासन के परामर्श पर कुलपति के कार्यों को जारी रखने की ऐसी व्यवस्था करेगा, जैसा कि वह उचित समझे.

परंतु, इस प्रकार नियुक्त कुलपति, दूसरी कालावधि के लिए पुनर्नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा.

- (2) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के एक वर्ष के भीतर या शासन, अधिसूचना के माध्यम से जैसा कि अनुज्ञात करे, अधिकतम डेढ़ वर्ष से अनधिक कालावधि के भीतर, धारा 21 में विनिर्दिष्ट कार्य परिषद्, विद्या परिषद् एवं ऐसे अन्य प्राधिकरणों के गठन की व्यवस्थाएं करने का दायित्व प्रथम कुलपति पर होगा.
- (3) धारा 21 के अंतर्गत गठित प्राधिकरण, अपनी शक्तियां प्रयुक्त करना एवं अपने कर्तव्य का निर्वहन करना, उस दिनांक या उन दिनाकों से प्रारंभ करेंगे जैसा कि शासन अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे.
- (4) प्रथम कुलपति का यह दायित्व होगा कि, कुलाधिपति के अनुमोदन से, वह आवश्यकतानुसार ऐसे विनियम, अध्यादेश एवं परिनियम बनाए एवं उन्हें अमल करने में सक्षम संबंधित प्राधिकरणों को उपलब्ध कराए एवं ऐसे परिनियम, अध्यादेश एवं विनियम छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशित किये जाएंगे.
- (5) इस अधिनियम एवं परिनियमों, अध्यादेशों एवं विनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई प्राधिकरण गठित होने तक प्रथम कुलपति ऐसा कोई अधिकारी नियुक्त कर सकता है अथवा ऐसी कोई समिति गठित कर सकता है जो इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों एवं विनियमों के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन अस्थायी रूप में कर सकेगी.

कुलपति का धेतन एवं अन्य धत्ते.

11.

कुलपति, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा एवं उसकी परिलब्धियां और निबंधन एवं सेवा की अन्य शर्तें परिनियम द्वारा निर्धारित की जाएंगी.

कुलपति की शक्तियां एवं कर्तव्य.

12.

(1) कुलपति, विश्वविद्यालय का शैक्षिक प्रमुख एवं प्रधान कार्यपालक होगा तथा कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा एवं उपाधियां, पत्रोपाधियां एवं अन्य शैक्षिक प्रशस्तियां उन व्यक्तियों को प्रदान करेगा जो इन्हें प्राप्त करने के लिए पात्र हों एवं वह, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् एवं वित्त समिति का सभापति (चेयरमेन) होगा एवं विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण की किसी भी बैठक में उपस्थित रहने एवं उसे संबोधित करने का उसे अधिकार होगा किन्तु जब तक वह संबंधित प्राधिकरण का सदस्य न हो, मतदान करने का अधिकार नहीं होगा.

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर नियंत्रण रखेगा एवं विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिये जिम्मेदार होगा.

(3) कुलपति, कार्य परिषद् एवं विद्या परिषद् की बैठक (सभाएं) बुलाएगा.

(4) कुलपति यह सुनिश्चित करेगा कि इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के प्रावधानों का पालन हो एवं वह इस प्रयोजन के लिये सभी आवश्यक शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा.

(5) कुलपति को किसी भी मामले में कार्रवाई करने का अधिकार होगा और आदेश द्वारा ऐसी कार्रवाई करेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे, किन्तु उसके बाद यथाशीघ्र उस अधिकारी अथवा प्राधिकरण अथवा निकाय जो उस मामले में सामान्य तौर पर निपटारा करता, को की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देगा :

परन्तु, ऐसा आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि व्यक्ति जो इससे प्रभावित होने वाला हो, उसे सुनवाई का यचित्यक्त अवसर नहीं दिया गया हो

- (6) उप-धारा (5) के अंतर्गत कुलपति के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसी तारीख; जिस पर उसे ऐसा आदेश संसूचित किया गया हो, से तीस दिनों के भीतर कार्य परिषद् के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है और इस प्रकार की अपील पर कार्य परिषद् द्वारा जो आदेश पारित किया जायेगा, उसे कुलपति क्रियान्वित करेगा।
- (7) अध्ययन, प्रशिक्षण, अनुसंधान, विस्तार-शिक्षा एवं पाठ्यक्रम विकास के बीच समन्वय एवं एकीकरण (तालमेल) के लिये कुलपति उत्तरदायी होगा।
- (8) कुलपति ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो कि विहित किये जाएं।
13. (1) कुलसचिव, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा एवं ऐसे निबंधन एवं शर्तों पर शासन द्वारा नियुक्त किया जायेगा, जैसा कि शासन द्वारा निर्धारित किया जाये। कुलसचिव ( रजिस्ट्रार )  
को नियुक्ति, कर्तव्य एवं  
पदावधि.
- (2) ऐसा व्यक्ति कुलसचिव होगा जो राज्य शासन के अधीन सेवारत हो एवं जो राज्य शासन के उपसचिव के पद की श्रेणी से निम्न का न हो या राज्य के पशुधन या मत्स्य विभाग के एक अधिकारी जो विभाग के संयुक्त संचालक के वेतनमान के स्तर का अधिकारी हो।
- (3) कुलसचिव, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् एवं अध्ययन बोर्ड का पदेन सचिव होगा।
- (4) कुलसचिव का पद अस्थायी रूप में तीन माह से अधिक समय के लिए रिक्त नहीं रहेगा अथवा कुलसचिव अस्वस्थता के कारणों से अनुपस्थिति हो अथवा अन्य कारणों से अपनी शक्तियां प्रयुक्त करने एवं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में एवं अपने कार्यालयीन दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तो उसको शक्तियों, कार्यों एवं कुलसचिव के कार्यालयीन दायित्वों का निर्वहन ऐसा व्यक्त करेगा जिसे कुलपति नियुक्त करे।
- (5) वित्त समिति एवं कार्य परिषद् के निर्णय के अनुसार न्यासों एवं दान सम्पत्ति सहित विश्वविद्यालय की सम्पत्ति एवं विनिधानों के प्रबंध का दायित्व कुलसचिव का होगा;
- (क) वह अभिलेखों, सामान्य मुद्रा एवं विश्वविद्यालय में उन अन्य सम्पत्तियों का अभिरक्षक होगा जो कि कार्य परिषद् उसके प्रभार में सौंपे; तथा
- (ख) वह कार्य परिषद्, विद्या परिषद्, अध्ययन बोर्ड, परीक्षा बोर्ड एवं विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त किसी समिति की बैठक बुलाने की सभी सूचनाएं जारी करेगा।
- (6) सभी वादों एवं अन्य विधिक कार्यवाहियों में जो विश्वविद्यालय के द्वारा अथवा विश्वविद्यालय के विरुद्ध चलाई जाती हों, उनमें अभिवचन, कुलसचिव द्वारा हस्ताक्षरित किये जाएंगे एवं उनका सत्यापन किया जाएगा एवं इस प्रकार के वादों एवं कार्यवाहियों में सभी आदेशिकायें कुलसचिव को जारी की जाएंगी एवं उन पर तामील की जाएंगी।
- (7) कुलसचिव ऐसी अन्य शक्तियों को प्रयुक्त करेगा एवं ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा एवं ऐसे अन्य दायित्वों का पालन करेगा जो कि कार्य परिषद् द्वारा विहित किये जाएं।
14. धारा 13 के प्रावधानों के अनुसार नियत दिनांक से तीन माह के भीतर राज्य शासन द्वारा प्रथम कुलसचिव को नियुक्ति की जायेगी। प्रथम कुलसचिव को  
नियुक्ति.
15. (1) वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय का ऐसा पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा जो राज्य शासन द्वारा, राज्य के वित्त विभाग के ऐसे अधिकारियों के बीच से नियुक्त किया जाएगा जो उपसंचालक वित्त की श्रेणी से निम्न का न हो। वित्त अधिकारी.

- (2) वित्त अधिकारी की परिलब्धियां तथा निबंधन व सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जैसा कि विहित किया जाये.
- (3) जहां वित्त अधिकारी का पद रिक्त हो अथवा वित्त अधिकारी अस्वस्थता के कारण अनुपस्थिति हो अथवा किसी अन्य कारण से उस पद की शक्तियां प्रयुक्त करने में एवं अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में एवं पद के दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ रहे, तो वित्त अधिकारी के उस पद की शक्तियों, उसके कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन ऐसा व्यक्ति करेगा जो इस प्रयोजन हेतु कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाये.
- (4) वित्त अधिकारी, वित्त समिति का पदेन सचिव होगा.
- (5) वित्त अधिकारी:
- (क) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा एवं वित्तीय विषयों के संबंध में विश्वविद्यालय को परामर्श देगा; एवं
- (ख) ऐसी अन्य शक्तियां प्रयुक्त करेगा एवं ऐसे अन्य कार्य करेगा जो कि कार्य परिषद् द्वारा उसे सौंपे जाएं या जैसा कि विहित किया जाये :

परन्तु, वित्त अधिकारी, कार्य परिषद् की पूर्व स्वीकृति से या जैसा कि विहित किया जाए किसी भी प्रकार का व्यय अथवा किसी भी प्रकार का विनिधान करेगा.

- (6) कार्य परिषद् के नियंत्रण के अध्वधीन, वित्त अधिकारी :-
- (क) यह सुनिश्चित करेगा कि आवर्ती एवं अनावर्ती वार्षिक व्यय, कार्य परिषद् द्वारा तय की गई सीमा से अधिक न हो एवं जो धन जिस मद के लिये प्राप्त है या आवंटित है, वह उसी मद में खर्च हो;
- (ख) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा, वित्तीय प्राक्कलन एवं आय-व्यय (बजट) तैयार करने एवं उन्हें वित्त समिति एवं कार्य परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होगा;
- (ग) नकद एवं बैंक-अतिशेषों एवं विनिधानों पर सतत निगरानी रखेगा;
- (घ) राजस्व-संग्रहण की प्रगति पर निरंतर निगरानी रखेगा एवं राजस्व-संग्रहण की पद्धति के संबंध में सलाह देगा;
- (ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि भवनों, भूमि, उपकरणों, उपस्करों आदि की पंजियां अद्यतन रूप में संधारित की जाती हैं एवं विश्वविद्यालय द्वारा संधारित सभी कार्यालयों, प्रयोगशालाओं, महाविद्यालयों एवं संस्थाओं में उपस्करों एवं उपयोग होने वाली सामग्री के संबंध में भण्डार जांच संचालित की जाती है;
- (च) किसी अनाधिकृत व्यय एवं अन्य वित्तीय अनियमितताओं की ओर कुलपति का ध्यान आकर्षित करे एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने के लिए सुझाव दे; तथा
- (छ) अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिये, अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिये एवं अपने

16. (1) प्रत्येक महाविद्यालय का एक अधिष्ठाता होगा जो ऐसी रीति में तथा ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर जैसा कि विहित किया जाए, कुलपति द्वारा नियुक्त, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा। महाविद्यालय का अधिष्ठाता।
- (2) महाविद्यालय का अधिष्ठाता, ऐसी शक्तियों को प्रयुक्त करेगा एवं ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा कि विहित किया जाए।
17. (1) विश्वविद्यालय के प्रत्येक संकाय का एक अधिष्ठाता होगा जो ऐसी रीति में तथा ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर जैसा कि विहित किया जाए, कुलपति द्वारा नियुक्त, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा। संकाय का अधिष्ठाता।
- (2) प्रत्येक संकाय का अधिष्ठाता, मुख्य कार्यपालक एवं शैक्षणिक अधिकारी होगा जो संकाय-प्रशासन के लिये कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा।
18. (1) संकाय का अधिष्ठाता, अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शैक्षणिक, अनुसंधान एवं विस्तार-शिक्षा के संगठन एवं प्रशासन एवं संचालन एवं कृषि क्षेत्र, अनुसंधान केन्द्र, चिकित्सालयों, रोगनिदान केन्द्रों आदि के प्रशासन के लिये उत्तरदायी होगा। संकाय अधिष्ठाता का कर्तव्य।
- (2) प्रत्येक संकाय के अधिष्ठाता को ऐसी अन्य शक्तियां प्राप्त होंगी एवं ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा कि इस अधिनियम के द्वारा या इसके अंतर्गत निर्धारित हो एवं जैसा कि विहित किया जाए।
19. (1) संचालक, विहित रीति से कुलपति द्वारा नियुक्त, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा। संचालक।
- (2) संचालक, ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा कि विहित किया जाए।
20. (1) अधिष्ठाता छात्र-कल्याण, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा, एवं ऐसी रीति में तथा ऐसे निबंधन एवं सेवा की शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा, जैसा कि विहित किया जाए। छात्र-कल्याण अधिष्ठाता।
- (2) अधिष्ठाता छात्र-कल्याण, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा एवं ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा कि परिणियमों द्वारा प्रदत्त किए जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं।

## अध्याय-चार

## विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

21. कार्य परिषद्, विद्या परिषद्, अध्ययन बोर्ड, वित्त समिति एवं विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य निकाय, विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होंगे जिन्हें परिणियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किया जाए, विश्वविद्यालय के प्राधिकारी।
22. (1) कुलाधिपति, धारा 10 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रथम कुलपति नियुक्त करने के पश्चात्, यथाशीघ्र कार्य परिषद् के गठन के लिये कदम उठाएंगे। कार्य परिषद्।
- (2) कार्य परिषद् में निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे, अर्थात् :-  
पदेन सदस्य  
(एक) कुलपति;  
(दो) शासन के पशुपालन/दुग्ध/मत्स्य विभाग के सचिव।

- (तीन) शासन के वित्त विभाग के सचिव;
- (चार) सभी संचालकगण;
- (पांच) सभी संकायों के अधिष्ठाता;
- (छः) सभी महाविद्यालयों के अधिष्ठाता;
- (सात) कुलसचिव.

#### अन्य सदस्य

- (एक) दो वैज्ञानिक, (जो प्राध्यापक की श्रेणी से निम्न के न हों) जिन्हें पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान के क्षेत्र में अध्यापन, अनुसंधान एवं विस्तार-शिक्षण का विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव हो, कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे.
- (दो) पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान के क्षेत्र में विश्वविद्यालय के बाहर का एक व्यक्ति जिसे कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा.
- (तीन) एक पशुपालक किसान जिसे शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा.
- (चार) राज्य के गौशालाओं से एक प्रतिनिधि जिसे राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा.
- (पांच) दुग्ध अथवा पंचगव्य-उत्पादन या प्रसंस्करण से सम्बद्ध उद्योग का एक प्रतिनिधि जिसे शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा.
- (छः) एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता जिसे शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा.
- (सात) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (पशु चिकित्सा प्रभाग) का एक प्रतिनिधि जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) के महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा.
- (आठ) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् का एक प्रतिनिधि जिसे उस परिषद् के प्रमुख द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा.
- (नौ) छत्तीसगढ़ विधान सभा के दो सदस्य, जो सदन के नेता एवं नेता प्रतिपक्ष के परामर्श से विधानसभाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे :

परन्तु, विधान सभा को सदस्यता से अपात्र घोषित किसी सदस्य को इस प्रकार नामनिर्दिष्ट नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह भी कि कार्य परिषद् में नामनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ विधान सभा का सदस्य जिस दिनांक से छत्तीसगढ़ विधान सभा का सदस्य नहीं रह जायेगा, उसी दिनांक से वह कार्य परिषद् का सदस्य नहीं रह जाएगा.

- (दस) कुलपति, कार्य परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा एवं कुलसचिव पदेन सदस्य सचिव होगा.
- (ग्यारह) कार्य परिषद् के पदेन सदस्यों को छोड़कर शेष सदस्यों का कार्यकाल चार वर्षों का होगा.

(बारह) कार्य परिषद् के सदस्य विश्वविद्यालय से सम्बन्धित मामलों में केवल वैज्ञानिक

परन्तु, उप-धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात, किसी सदस्य को वह जिस पद पर है, और जिसके लिए वह पात्र है उसे इस निमित्त मिलने वाले सामान्य पारिश्रमिक (वेतन) अथवा भत्तों से वंचित नहीं करेगी।

(तेरह) पदेन सदस्यों को छोड़कर, कार्य परिषद् का कोई भी सदस्य, अपने कार्यकाल की अवधि के समाप्त होने के पूर्व किसी भी समय अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकेगा एवं सदस्य द्वारा ऐसा त्यागपत्र लिखित में पत्र द्वारा कुलाधिपति को भेजा जाएगा एवं यह त्यागपत्र, त्यागपत्र दिये जाने की तारीख से प्रभावशील होगा।

23. कार्य परिषद् की शक्तियां निम्नानुसार होंगी, अर्थात् :-

कार्य परिषद् की शक्तियां.

- (एक) परिनियम, अध्यादेश एवं विनियम बनाना, संशोधित करना अथवा निरसित करना;
- (दो) वित्तीय आवश्यकताओं पर विचार करना एवं उनकी समीक्षा करना एवं विश्वविद्यालय के वार्षिक प्राक्कलन को अनुमोदित करना;
- (तीन) आशयित प्रयोजनों के लिये विश्वविद्यालय के अधीन की गई निधियों के प्रबंध के लिए प्रावधान करना;
- (चार) विश्वविद्यालय की निधियों के विनिधान एवं आहरण की व्यवस्था करना;
- (पांच) शासन के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिये ऋण लेना एवं उसके प्रतिसंदाय की यथोचित व्यवस्था करना;
- (छः) विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों का धारण, नियंत्रण एवं व्यवस्थापन (प्रशासन);
- (सात) विश्वविद्यालय की समान मुद्रा का निर्धारण, उसकी अभिरक्षा का प्रावधान करना एवं उसके उपयोग का विनियमन करना;
- (आठ) ऐसी समिति या तो स्थायी या अस्थायी जैसा कि वह आवश्यक समझे, नियुक्त करना एवं अधिनियम एवं परिनियमों के प्रावधानों के अध्वधीन उनके लिये संदर्भित विषयों (टर्म) को निर्धारित करना;
- (नौ) विश्वविद्यालय से संबंधित नीतिगत समस्त प्रश्नों को इस अधिनियम एवं परिनियमों के प्रावधानों के अनुसार अवधारित एवं विनियमित करना;
- (दस) ज्ञानार्जन की ऐसी शाखाओं और पाठ्यचर्याओं के शिक्षण, अध्यापन, अनुसंधान अभिवर्धन एवं ज्ञान के प्रसार के लिये जैसा कि विद्या परिषद् द्वारा निर्धारित किया जाए, वित्तीय प्रावधान करना;
- (ग्यारह) इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक महाविद्यालयों, छात्रावासों, प्रयोगशालाओं, प्रायोगिक गौशाला फार्मों एवं अन्य सुविधाओं को स्थापित करने एवं उनका संधारण करने का प्रावधान करना;
- (बारह) छात्रवृत्तियां, शोधवृत्तियां, प्रशस्तियां, प्रदर्शनियां एवं पुरस्कार (मेडल एवं प्राइज) संस्थापित करने एवं उनका संधारण करने एवं प्रदान किये जाने का प्रावधान करना;
- (तेरह) विश्वविद्यालय की ओर से न्यास, वसोयत, दान एवं चल-अचल सम्पत्तियों का उसके नाम अन्तर्गण स्वीकार करना;

- (चौदह) विश्वविद्यालय की ओर से संविदा करना;
- (पंद्रह) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जो इस अधिनियम या परिनियमों के उपबंधों से असंगत न हो, जो इस अधिनियम के प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक हो।
- कार्य परिषद् की बैठक. 24. (1) उप-धारा (2) एवं (3) के प्रावधानों के अध्यक्षीन, कार्य परिषद् की बैठकें (सभाएं) ऐसे स्थानों पर एवं समयों पर होंगी तथा उन बैठकों में कार्यवाही चलाने की गणपूर्ति सहित उन बैठकों के कार्य के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन किया जायेगा जैसा कि विहित किया जाए :

परंतु कार्य परिषद् की बैठकें तीन माह में कम से कम एक बार होंगी।

- (2) कार्य परिषद् की बैठक की अध्यक्षता कुलपति द्वारा की जाएगी।
- (3) कार्य परिषद् की किसी भी बैठक में सभी मसले (प्रश्न), उपस्थित एवं मतदानकर्ता सदस्यों के बहुमत के द्वारा निर्णीत किये जाएंगे एवं समान मत प्राप्त होने की स्थिति में कुलपति अथवा अध्यक्षता करने वाला सदस्य, जैसी भी स्थिति हो, द्वितीय अथवा निर्णायक मत देगा।
- (4) कार्य परिषद्, किसी विचारणीय विषय पर परामर्श के प्रयोजन के लिये, उस विषय के विशेष ज्ञानसम्पन्न अथवा प्रायोगिक अनुभवसम्पन्न व्यक्ति को किसी बैठक में सम्मिलित होने के लिये आमंत्रित कर सकती है तथा ऐसा व्यक्ति सभा में बैठ सकता है तथा अन्यथा ऐसी बैठक (सभा) की कार्यवाही में भाग ले सकता है किन्तु उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा।

- विद्या परिषद्. 25. विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय का शैक्षिक प्राधिकरण होगा एवं वह परिनियमों के प्रावधानों के अध्यक्षीन, विश्वविद्यालय के अध्यापन, अनुसंधान, विकास एवं विस्तार एवं परीक्षाओं पर नियंत्रण रखेगा एवं सामान्य नियमन करेगा एवं उनका स्तर बनाए रखने की जिम्मेदारी उस पर होगी।

- विद्या परिषद् का गठन. 26. (1) विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे, अर्थात् :—  
पदेन सदस्य  
(क) कुलपति;  
(ख) निदेशकगण;  
(ग) संकाय के सभी अधिष्ठाता;  
(घ) महाविद्यालय के सभी अधिष्ठाता;  
(ङ) कुलसचिव-सदस्य सचिव।

#### अन्य सदस्य

- (क) विभागाध्यक्षों के बीच से सदस्यों को, जिनकी संख्या पांच से अधिक न हो, आवृत्तों आधार पर कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;
- (ख) पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर विशेष ज्ञानसंपन्न अथवा प्रायोगिक अनुभवसंपन्न तीन व्यक्तियों को जो श्रेयस्कर रूप में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् एवं भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् के प्रतिनिधि हों, कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।
- (2) कुलपति विद्या परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा एवं कुलसचिव पदेन सचिव होगा।
- (3) पदेन सदस्यों को छोड़कर, विद्या परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा।
- (4) विद्या परिषद् के सदस्यों को, ऐसे सभाशुल्क, दैनिक तथा यात्रा भत्ते जैसा कि विहित किया गया हो, वेतन, विश्वविद्यालय से सर्वे प्राथमिक प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।

परन्तु, इस उप-धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात, किसी सदस्य को, वह जिस पद पर है, और जिसके लिए वह पात्र है उसे इस निमित्त मिलने वाले सामान्य पारिश्रमिक अथवा भत्तों से वंचित नहीं करेगी।

- (5) विद्या परिषद् के पदेन सदस्यों को छोड़कर, कोई भी सदस्य अपने कार्यकाल की अवधि समाप्त होने के पूर्व किसी भी समय अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है एवं ऐसे त्यागपत्र के संबंध में सदस्य द्वारा लिखित में पत्र द्वारा कुलाधिपति को अवगत कराया जाएगा तथा यह त्यागपत्र, कुलाधिपति द्वारा उसे स्वीकृत किये जाने की तारीख से प्रभावशील होगा।

27. इस अधिनियम एवं परिनियमों के प्रावधानों के अध्याधोन विद्या परिषद् :-

विद्या परिषद् की शक्तियां एवं कार्य.

- (एक) विश्वविद्यालय के अध्यापन, अनुसंधान एवं परीक्षाओं का सामान्यतः नियमन करेगी एवं उन पर नियंत्रण रखेगी एवं उनका स्तर बनाए रखने के लिये उत्तरदायी होगी एवं उपाधियां अर्जित करने की आवश्यकताएं निर्धारित करेगी;
- (दो) सभी शैक्षिक विषयों पर, परिनियम, अध्यादेश एवं विनियम बनाने के लिये विश्वविद्यालय को कार्य परिषद् एवं अन्य प्राधिकरणों को निम्नानुसार परामर्श देगी—
- (क) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को प्रवेश देगी एवं प्रवेश दिये जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या,
- (ख) उपाधियों, पत्रोपाधियों एवं अन्य शैक्षिक प्रशस्तियों का मार्ग प्रशस्त करने वाले पाठ्यक्रम चलाएगी,
- (ग) परीक्षाएं लेगी एवं शिक्षा का स्तर बनाए रखेगी एवं उसे प्रोन्नत करेगी;
- (तीन) सभी शैक्षिक विषयों में कार्य परिषद् को परामर्श देगी जिसमें पुस्तकालय का नियंत्रण एवं प्रबंधन भी सम्मिलित है;
- (चार) अध्यापन, अनुसंधान एवं विस्तार शिक्षा के पदों के संस्थापन के लिए एवं उनके दायित्वों के संबंध में कार्य परिषद् को अनुशंसा करेगी;
- (पांच) अध्यापन, अनुसंधान एवं विस्तार-शिक्षा के विभागों की रचना या पुनर्रचना की योजना बनायेगी या उसमें सुधार करेगी या परिवर्तन करेगी;
- (छः) अध्यापन, अनुसंधान एवं विस्तार-शिक्षा के संबंध में कार्य परिषद् को अनुशंसा करेगी;
- (सात) विश्वविद्यालय के अध्यापन, अनुसंधान एवं विस्तार-शिक्षा के पदों के लिए विहित की जाने वाली योग्यताओं के बारे में कार्य परिषद् को अनुशंसा करेगी;
- (आठ) मानद उपाधियां या अन्य प्रशस्तियां प्रदान करने के संबंध में कार्य परिषद् को अनुशंसा करेगी;
- (नौ) ऐसी अन्य शक्तियां प्रयुक्त करेगी एवं ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करेगी जैसा कि विहित किया जाए;
- (दस) अध्यादेश बनाने, उन्हें संशोधित करने या उन्हें निरसित करने के लिए, कार्य परिषद् को प्रारूप प्रस्तावित करेगी.

28. (1) विश्वविद्यालय के एक या अधिक ऐसे संकाय होंगे, जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए.

संकाय.

- (3) प्रत्येक संकाय के ऐसे विभाग होंगे जैसा कि अध्यादेश द्वारा इसके लिए समनुदेशित किया जाए.
- (4) संकाय अधिष्ठाता की नियुक्ति, धारा 17 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी.
- (5) संकाय अधिष्ठाता, संकाय का सभापति (चेयरमैन) होगा एवं संकाय से सम्बन्धित परिनियम, अध्यादेश एवं विनियम के क्रियान्वयन एवं अध्यापन, अनुसंधान एवं विस्तार-शिक्षा संचालित करने एवं उनका स्तर बनाए रखने के लिये उत्तरदायी होगा.
- (6) संकायों के साथ ही विश्वविद्यालय में एकान्तिक रूप से कामधेनु एवं पंचगव्य विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में अनुसंधान, तकनीकी विकास एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक ऐसा "कामधेनु एवं पंचगव्य अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र" होगा जिसका गठन, कार्यों एवं गतिविधियों को इस निमित्त बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों एवं विनियमों द्वारा निर्धारित किया जाएगा.
- अध्ययन बोर्ड. 29. एक या अधिक संकायों का एक अध्ययन-बोर्ड होगा जिसका गठन एवं कार्य ऐसा होगा जैसा कि विहित किया जाए.
- वित्त समिति. 30. (1) कार्य परिषद्, एक वित्त समिति नियुक्त करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे, अर्थात् :-  
 (क) कुलपति;  
 (ख) शासन के पशुपालन, दुग्ध एवं मत्स्य विभाग के सचिव;  
 (ग) शासन के वित्त विभाग के सचिव;  
 (घ) कार्य परिषद् द्वारा अपने अशासकीय सदस्यों में से चुना गया एक सदस्य; एवं  
 (ङ) वित्त अधिकारी.
- (2) पशुपालन, दुग्ध एवं मत्स्य विभाग या वित्त विभाग के शासकीय प्रभार का कोई सचिव यदि वित्त समिति की किसी बैठक (सभा) में उपस्थित रहने में किसी कारण से असमर्थ हो तो वह बैठक में उपस्थित होने के लिए अपने विभाग के किसी अधिकारी या उसके नामित को, जो शासन के उपसचिव के पद की श्रेणी से निम्न का न हो, नामनिर्दिष्ट (प्रतिनियुक्त) कर सकेगा एवं इस प्रकार के नामनिर्दिष्ट (प्रतिनियुक्त) अधिकारी को बैठक की बहस में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा.
- (3) कुलपति, वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा एवं वित्त अधिकारी पदेन सचिव होगा.
- (4) वित्त समिति :  
 (क) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा एवं वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन का परीक्षण करेगी एवं तदनुसार कार्य परिषद् को परामर्श देगी;  
 (ख) विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति की समय-समय पर समीक्षा करेगी;  
 (ग) प्रत्येक उस प्रस्ताव पर जिसमें व्यय सन्निहित है, किन्तु वार्षिक प्राक्कलनों में प्रावधान नहीं है अथवा जिनका प्रावधान वित्तीय प्राक्कलनों में है, उससे अधिक व्यय सन्निहित है, ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव पर कार्य परिषद् को अनुशंसाएं देगी;  
 (घ) विश्वविद्यालय के आर्थिक साधनों से संबंधित सभी विषयों में कार्य परिषद् को अनुशंसाएं देगी.

31. कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन आवश्यकतानुसार ऐसी रीति में कर सकेगी जैसा कि परिनिधियों द्वारा विहित किया गया हो। अन्य प्राधिकारियों का गठन।

अध्याय-पांच  
निधि एवं लेखा

32. विश्वविद्यालय की एक विश्वविद्यालय निधि होगी जिसमें फीस से प्राप्त आय, प्रतिदान, अनुदान, दान एवं भेंट से यदि कोई आय हो तो वह एवं केन्द्र शासन, किसी राज्य शासन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 3) की धारा 4 के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा उसके समान कोई प्राधिकरण अथवा कोई अन्य स्थानीय निकाय अथवा राज्य शासन के स्वामित्व का अथवा उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम द्वारा दिया गया योगदान अथवा अनुदान, जमा किया जाएगा। विश्वविद्यालय निधि।
33. विश्वविद्यालय को ऐसी अन्य निधियां भी हो सकती हैं जैसा कि विहित किया जाए। अन्य निधि।
34. विश्वविद्यालय की निधियों एवं सम्पूर्ण धन का प्रबंध, ऐसी रीति में किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए। निधियों का प्रबंधन।
35. (1) शासन, प्रतिवर्ष, अव्यपगत न होने वाले एकमुश्त आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान, ऐसे अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिये विश्वविद्यालय को प्रदान करेगा जैसा कि शासन विश्वविद्यालय के उचित कार्यकरण के लिये आवश्यक समझे। अनुदान।
- (2) शासन द्वारा प्रदत्त अनुदान एवं उसके उपयोग के संबंध में, विश्वविद्यालय ऐसे विवरण, लेखा, प्रतिवेदन एवं अन्य ब्यौरे प्रस्तुत करेगा जैसा कि शासन द्वारा अपेक्षित किया जाए।
36. विश्वविद्यालय निधि, निम्नलिखित उद्देश्यों के लिये उपयोग में लाई जाएगी :--  
(एक) इस अधिनियम एवं इसके अधीन बनाये गये परिनिधियों एवं विनियमों के प्रयोजन के लिये विश्वविद्यालय द्वारा लिये गए ऋणों का प्रतिसंदाय;  
(दो) ऐसे मुकदमें या कार्यवाही का व्यय, जिसमें विश्वविद्यालय एक पक्ष हो;  
(तीन) इस अधिनियम एवं इसके अधीन बनाये गये परिनिधियों एवं विनियमों के प्रयोजनों के प्रवर्धन के लिये नियोजित, विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों एवं विभागों में नियोजित अध्यापक वर्ग के सदस्यों को वेतन एवं भत्तों की अदायगी एवं किन्हीं अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अध्यापक वर्ग के सदस्यों एवं ऐसे स्थापना के सदस्यों के पेंशन एवं भविष्यनिधि-योगदान की अदायगी;  
(चार) विश्वविद्यालय, कार्य परिषद् एवं विद्या परिषद् और अन्य किन्हीं प्राधिकारियों के सदस्यों अथवा इस अधिनियम एवं इसके अधीन बनाये गये परिनिधियों एवं विनियमों के किन्हीं प्रावधानों के अनुसरण में, विश्वविद्यालय के किन्हीं प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किसी समिति के सदस्यों को यात्रा एवं अन्य भत्तों की अदायगी;  
(पांच) शोधवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, छात्रवृत्तियों एवं विद्यार्थियों को अन्य पुरस्कारों की अदायगी;  
(छः) महाविद्यालयों, विभागों, आवासों एवं छात्रावासों का संधारण;  
(सात) विश्वविद्यालय निधि के लेखा परीक्षण व्यय की अदायगी;
- उद्देश्य जिनके लिये विश्वविद्यालय की निधि का उपबोग किया जा सकता है।

- (आठ) इस अधिनियम एवं इसके अधीन बनाये गये परिनियमों एवं विनियमों के प्रावधानों को अमल में लाने के लिये विश्वविद्यालय द्वारा किये जाने वाले खर्च की अदायगी; एवं
- (नौ) किसी भी अन्य व्यय की अदायगी, जो पूर्ववर्ती खण्डों में विनिर्दिष्ट नहीं है, कार्य परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए व्यय घोषित किया गया हो.
- वार्षिक लेखे एवं लेखा परीक्षा ( ऑडिट ). 37. (1) वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किया गया वार्षिक लेखा, ऐसी जांच एवं लेखा परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जाएगा जैसा कि शासन निर्देश दे तथा वार्षिक लेखे एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को एक प्रति शासन को प्रस्तुत की जाएगी.
- (2) विश्वविद्यालय, लेखा परीक्षण में उठाई गई आपत्तियों को सुलझाएगा तथा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पर शासन द्वारा जो भी निर्देश दिए जाएं, उनका पालन करेगा.
- (3) शासन, वार्षिक लेखा एवं लेखा परीक्षण प्रतिवेदन को अपनी टिप्पणियों सहित विधान सभा के पटल पर रखवायेगा.
- (4) वित्त अधिकारी, ऐसी तारीख जो कि विहित हो, के पूर्व आगामी वर्ष के लिये वार्षिक आर्थिक प्राक्कलन तैयार करेगा.
- (5) वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किया गया वार्षिक लेखा एवं वार्षिक आर्थिक प्राक्कलन, वित्त समिति की टिप्पणियों के साथ कार्य परिषद् की वार्षिक सभा में उसकी स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया जाएगा एवं कार्य परिषद् उसके संदर्भ में प्रस्ताव पारित कर सकेगी एवं उसे कम्प्यूटर को संसूचित करेगी जो तदनुसार कार्यवाही करेगा.

#### अध्याय-छः

#### सेवा की शर्तें

- पेंशन उपदान आदि. 38. (1) विश्वविद्यालय, अधिकारियों, अध्यापकों एवं कर्मचारियों के लाभ के लिये जैसा कि उचित समझे, ऐसी रीति में एवं ऐसे शर्तों के अध्वधीन, ऐसी पेंशन, उपदान, बीमा एवं भविष्यनिधि प्रारंभ करेगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर विहित किया जाए.
- स्पष्टीकरण :—** इस धारा एवं धारा 7 के प्रयोजन के लिये शब्द "अधिकारी" में विश्वविद्यालय का कुलाधिपति समाविष्ट नहीं होगा.
- (2) विश्वविद्यालय, वित्त समिति के परामर्श से भविष्यनिधि की राशि को भारत के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा डाकघर में निवेशित कर सकेगा.
- सेवा की शर्तें. 39. (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्वधीन, विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, चयन प्रक्रिया, वेतन एवं भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि विहित किया जाए.
- (2) परिनियमों के उपबंधों के अनुसरण में प्रयोजनार्थ गठित चयन समिति द्वारा अनुशंसितों को छोड़कर, किसी भी व्यक्ति को विश्वविद्यालय का वैतनिक अध्यापक नियुक्त नहीं किया जाएगा.
- (3) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन की अदायगी राज्य

- (4) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों की संख्या एवं उनके चयन की पद्धति जब तक इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित न हो ऐसी होगी जैसा कि विहित किया जाए.

## अध्याय-सात

## परिनियम, अध्यादेश एवं विनियम

40. इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन निम्नलिखित सभी अथवा किन्हीं विषयों के लिए परिनियम उपबंधित किये जा सकते हैं, अर्थात् :-
- (एक) शर्तें जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय में अनुसंधान कार्यान्वित किए जा सकते हैं;
- (दो) जिस पद्धति से एवं जिन शर्तों के अंतर्गत मानद उपाधियां एवं अन्य प्रशस्तियां प्रदान की जा सकती हैं;
- (तीन) फीस एवं अन्य प्रभारों का निर्धारण, अदायगी एवं प्राप्ति;
- (चार) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये शैक्षणिक योग्यताओं एवं मानकों का निर्धारण;
- (पांच) वे निबंधन एवं शर्तें जिनके अध्यधीन कुलसचिव को नियुक्ति की जा सकती है एवं उसकी शक्तियां, कार्य एवं कर्तव्य;
- (छः) वे निबंधन एवं शर्तें जिनके अध्यधीन वित्त अधिकारी को नियुक्ति की जा सकती है एवं उसकी शक्तियां, कार्य एवं कर्तव्य;
- (सात) वे निबंधन एवं शर्तें जिनके अध्यधीन निदेशक नियुक्त किये जा सकते हैं एवं उनकी शक्तियां एवं कर्तव्य;
- (आठ) विश्वविद्यालय की कार्य परिषद्, विद्या परिषद् एवं अन्य प्राधिकारी एवं उनकी समितियों के सदस्यों को दिये जाने वाले दैनिक एवं यात्रा भत्ते;
- (नौ) प्रत्येक संकाय के लिये विषयों का निर्धारण;
- (दस) संकायों का गठन, शक्तियां एवं कार्य;
- (ग्यारह) अध्ययन बोर्ड का गठन, शक्तियां एवं कार्य;
- (बारह) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, शक्तियां एवं कार्य;
- (तेरह) जिस पद्धति से प्रत्येक संकाय के अधिष्ठाता को नियुक्ति की जा सकती है;
- (चौदह) विश्वविद्यालय की निधि एवं धन की स्थापना एवं प्रबंध;
- (पन्द्रह) लेखा परीक्षित लेखों के प्रकाशन की रीति;
- (सोलह) जिस अवधि के लिए एवं जिस रीति में धारा 42 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट विद्यार्थियों के लिए शिक्षण, अध्यापन एवं प्रशिक्षण एवं परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी; एवं
- (सत्रह) अन्य कोई विषय जिसकी आवश्यकता हो या जो कि विहित किया जाए.

- परिनियम किस प्रकार 41. (1) कार्य परिषद् समय-समय पर परिनियम बना सकती है तथा इस धारा में उपबंधित रीति में य. बनाये जायेंगे। इसमें इसके पश्चात् परिनियम संशोधित कर सकती है अथवा निरसित कर सकती है।
- (2) विद्या परिषद् कार्य परिषद् को किसी परिनियम का प्रारूप अथवा उसमें कोई संशोधन, अथवा कार्य परिषद् द्वारा किसी परिनियम को निरसित करने का प्रारूप प्रस्तावित कर सकती है तथा कार्य परिषद् द्वारा अगली बैठक में ऐसे प्रारूप (प्रस्ताव) पर विचार किया जायेगा।
- (3) कार्य परिषद्, विद्या परिषद् द्वारा उप-धारा (2) के अधीन प्रस्तावित प्रारूप पर विचार कर सकती है एवं उसे या तो पारित कर सकती है या उसे अस्वीकृत कर सकती है अथवा संशोधनसहित अथवा संशोधनरहित रूप में विद्या परिषद् को पुनर्विचारार्थ लौटा सकती है।
- (4) (क) कार्य परिषद् का कोई सदस्य कार्य परिषद् को किसी परिनियम का प्रारूप प्रस्तावित कर सकता है एवं कार्य परिषद् ऐसे प्रारूप को या तो स्वीकृत कर सकती है या प्रारूप, विद्या परिषद् के दायरे में न आने वाले विषय से संबंधित हो, तो उसे अस्वीकृत कर सकती है।
- (ख) इस तरह का प्रारूप यदि विद्या परिषद् के दायरे में आता हो तो कार्य परिषद् उसे विद्या परिषद् के विचारार्थ संदर्भित करेगी, जो कार्य परिषद् को, प्रारूप पर यदि उसकी असहमति हो तो अपनी असहमति से अवगत कराएगी अथवा प्रारूप को जिस रूप में तय करेगी, उस रूप में विद्या परिषद् स्वीकृत करेगी एवं उसे कार्य परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करेगी एवं कार्य परिषद् या तो संशोधन सहित अथवा संशोधन रहित रूप में स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकती है।
- (5) कार्य परिषद् द्वारा पारित परिनियम, कुलाधिपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो उस पर अपनी सहमति दे सकते हैं, सहमति रोक सकते हैं एवं कार्य परिषद् द्वारा पारित परिनियम की कोई वैधता नहीं होगी यदि कुलाधिपति द्वारा उसे स्वीकृति प्रदान नहीं की गई हो।

अध्यादेश.

42. इस अधिनियम एवं परिनियमों के प्रावधानों के अध्यक्षीन निम्नलिखित सभी अथवा उनमें से किन्हीं विषयों पर अध्यादेश का उपबंध किया जा सकता है, अर्थात् :-
- (क) परीक्षकों की नियुक्ति सहित परीक्षाओं का आयोजन एवं उनके निबंधन एवं शर्तें;
- (ख) विद्यार्थियों का विश्वविद्यालय में प्रवेश एवं उनका पंजीयन एवं उनकी निरंतरता एवं पंजी में से नाम निरस्त करने की शर्तें (उपबंध) एवं प्रक्रिया;
- (ग) शुल्क, जो विश्वविद्यालय द्वारा लिया जा सकेगा;
- (घ) उपाधियों, पत्रोपाधियों एवं अन्य प्रशस्तियों के लिये अध्ययन पाठ्यक्रम का निर्धारण;
- (ङ) शर्तें जिसके अध्यक्षीन विद्यार्थी, विश्वविद्यालय के उपाधि, पत्रोपाधि एवं अन्य अध्ययन पाठ्यक्रमों एवं परीक्षाओं में प्रवेश लेंगे एवं उपाधि एवं पत्रोपाधि प्राप्त करने की पात्रता;
- (च) उपाधियां, पत्रोपाधियां एवं अन्य प्रशस्तियां प्रदान करने के उपबंध;
- (छ) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में अनुशासन बनाये रखना;
- (ज) विशेष व्यवस्थाएँ, जो आवास, अनुशासन एवं महिला अध्यापकों के लिये की जाए;
- (झ) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के आवास संबंधी उपबंध एवं छात्रावास का शुल्क;

- (ब) छात्रावासों, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा न चलाया जाता हो, उन्हें मान्यता देना एवं उनका प्रबंध;
- (ट) इस अधिनियम अथवा परिनियमों द्वारा अपेक्षित कोई अन्य विषय जिसे विश्वविद्यालय के अध्यादेश द्वारा अथवा के अन्तर्गत लेना.
43. (1) कार्य परिषद्, यहां आगे उपबंधित रीति में अध्यादेश बना सकती है, उन्हें संशोधित अथवा निरसित कर सकती है; अध्यादेश किस प्रकार बनाये जायेंगे.
- (2) कार्य परिषद् द्वारा शैक्षिक विषयों से संबंधित कोई अध्यादेश तब तक निर्मित नहीं किया जायेगा जब तक कि विद्या परिषद् द्वारा उसका प्रारूप प्रस्तावित न किया गया हो;
- (3) कार्य परिषद् को उप-धारा (2) के अंतर्गत विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी प्रारूप को संशोधित करने का अधिकार नहीं होगा किन्तु वह उसे अस्वीकृत कर सकती है अथवा कोई संशोधन जो कार्य परिषद् सुझाये, के साथ उसे आंशिक अथवा संपूर्ण रूप में विद्या परिषद् को पुनर्विचार हेतु वापस लौटा सकती है;
- (4) विद्या परिषद् द्वारा निर्मित सभी अध्यादेश उस दिनांक से प्रभावशील होंगे जो वह निर्दिष्ट करे, किन्तु इस प्रकार निर्मित प्रत्येक अध्यादेश, दो सप्ताह के भीतर कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जाएगा. कुलाधिपति को, कार्य परिषद् को यह निर्देश देने का अधिकार होगा कि चार सप्ताहों के भीतर वह उक्त अध्यादेश का क्रियान्वयन स्थगित करें और यथासंभव शीघ्र वह अपनी आपत्तियों से कार्य परिषद् को अवगत कराएगा एवं उस पर कार्य परिषद् की टिप्पणियां प्राप्त हो जाने के उपरांत वह (कुलाधिपति) या तो अपना स्थगन आदेश वापस ले लेगा अथवा अध्यादेश को अस्वीकृत कर देगा एवं उसका (कुलाधिपति का) निर्णय अंतिम होगा.
44. (1) इस अधिनियम एवं परिनियमों के प्रावधानों के अध्याधीन विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकरण निम्नलिखित सभी अथवा उनमें से किन्हीं विषयों पर उपबंध करने हेतु अधिनियम के अनुरूप विनियम बना सकता है; अर्थात् :— विनियम.
- (क) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, चयन-प्रक्रिया, वेतन एवं भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्तें;
- (ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण द्वारा सदस्यों को सभा की, उसके दिनांक एवं सभा में किये जाने वाले कार्य की सूचना दी जाना एवं सभा के कामकाज का अभिलेख रखना;
- (ग) सभा में पालन की जाने वाली प्रक्रिया एवं सभा के लिये सदस्यों की गणपूर्ति के लिये अपेक्षित सदस्यों की संख्या; एवं
- (घ) अन्य कोई विषय जो विनियमों द्वारा अपेक्षित हो या जो विहित किया जाये.
- (2) विद्या परिषद्, परिनियमों के प्रावधानों के अध्याधीन विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली एवं उपाधियां, पत्रोपाधियां एवं अन्य शैक्षिक प्रशस्तियां प्रदान करने के प्रावधान करने वाले विनियम, संबंधित अध्ययन बोर्ड से उनके प्रारूप प्राप्त होने के उपरांत बना सकते हैं.
- (3) कार्य परिषद्, संबंधित प्राधिकरण को ऐसा निर्देश दे सकती है, जैसा कि किसी विनियम को संशोधित करने के लिए उचित समझे.

## अध्याय-आठ

## महाविद्यालयों एवं संस्थानों, कर्मचारियों एवं निधियों का अंतरण

विश्वविद्यालय को कतिपय महाविद्यालयों एवं संस्थानों का अंतरण.

45. (1) इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (क्र. 20 सन् 1987) में अथवा इसके अधीन बनाये गये परिनियमों, विनियमों एवं आदेशों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अस्तित्व में आने पर एवं उसके उपरांत, अनुसूची में उल्लिखित महाविद्यालयों को, विश्वविद्यालय की चल-अचल सम्पत्तियों के साथ-साथ विश्वविद्यालय के चटक महाविद्यालय एवं संस्थान अंतरित किये जायेंगे तथा विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किये जाएंगे.
- (2) इस अधिनियम के अस्तित्व में आने पर अथवा उस दिन से उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट महाविद्यालयों एवं संस्थानों का नियंत्रण एवं प्रबंधन तथा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की सभी सम्पत्तियां, आस्तियां एवं देयताएं विश्वविद्यालय को अंतरित एवं उसमें सन्निहित होंगी.
- (3) इस अधिनियम के अस्तित्व में आने के उपरांत किसी भी समय शासन, अपनी किन्हीं भूमियों को, विश्वविद्यालय के उपयोग के लिये, उन निबंधनों एवं शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे, विश्वविद्यालय को अंतरित कर सकेगा.
- (4) इस अधिनियम के अस्तित्व में आने के उपरांत किसी भी समय शासन, उन निबंधनों एवं शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे, अपने किन्हीं महाविद्यालयों अथवा संस्थानों के नियंत्रण एवं प्रबंधन को विश्वविद्यालय को अंतरित कर सकता है.
- (5) तत्समय प्रभावशील किसी भी अधिनियम में अथवा उसके अधीन बनाये गये परिनियमों, विनियमों या आदेशों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य में, विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में चाहे जो प्रावधान हों, शासन द्वारा विनिर्दिष्ट दिनांक को उप-धारा (1) में निर्दिष्ट महाविद्यालय एवं संस्थान विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक से असम्बद्ध होकर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध माने जाएंगे एवं इस अधिनियम के प्रावधान यथासंभव तदनुसार लागू होंगे.

प्रवेश एवं उपाधियों प्रदान करने के लिए विशेष उपबंध.

46. इस अधिनियम में, परिनियमों अथवा विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 45 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट महाविद्यालयों के प्रत्येक विद्यार्थियों को, जो इस अधिनियम के अस्तित्व में आने के पूर्व तक जिस महाविद्यालय में पढ़ रहा था अथवा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में प्रवेश के लिये पात्र था, उसे उस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की अथवा उस परीक्षा में प्रवेश की अनुमति विश्वविद्यालय देगा और विश्वविद्यालय इसका प्रबंध करेगा :
- (क) ऐसे विद्यार्थियों के शिक्षण, अध्यापन, प्रशिक्षण एवं परीक्षा के आयोजन के लिए प्रथम कुलपति द्वारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार ऐसी अवधि एवं ऐसी रीति में होगी, जैसा कि निर्धारित किया जाए; और
- (ख) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अर्हता प्राप्त ऐसे विद्यार्थियों को तत्स्थानी उपाधि, पत्रोपाधि अथवा अन्य शैक्षणिक विशिष्टता प्रदान करने के लिये व्यवस्था करना.

कतिपय कर्मचारियों की सेवा का अंतरण.

47. (1) इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जो महाविद्यालय एवं संस्थान विश्वविद्यालय को अंतरित होंगे, इस अधिनियम के अस्तित्व में आने के तत्काल पूर्व उसमें सेवारत प्रत्येक व्यक्ति उक्त दिनांक से छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय का कर्मचारी बन जाएगा.।

- (2) (क) इस अधिनियम के अस्तित्व में आने के बाद यथाशीघ्र शासन, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति एवं छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय के परामर्श से सामान्य अथवा विशेष आदेश के माध्यम से निर्देशित करेगा कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय तथा ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट कर्मचारी, ऐसे आदेश से जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाये, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय एवं/अथवा छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय के कार्यों से संबंधित सेवाओं के लिये आवंटित होंगे.

- (ख) उप-धारा (2) के खण्ड (क) के अंतर्गत आदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक को एवं उस दिनांक से ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय या छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय के कर्मचारी बन जायेंगे तथा वे कर्मचारी जो छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय को स्थानांतरित हो गए हों, जैसी भी स्थिति हो, वे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं रह जाएंगे.
- (3) उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति उसी अवधि के लिये एवं उसी पारिश्रमिक एवं उन्हीं अधिकारों, पेंशन या उपादान जैसी विशेष सुविधाओं पर, यदि हों एवं अन्य विषय, जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर अथवा उप-धारा (2) के खण्ड (क) के अंतर्गत आदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक को प्राप्त रही हों, यथास्थिति वैसा ही (उसी पद पर, उसी प्रकार से) रहेगा जैसे कि इस अधिनियम के प्रवृत्त न होने की स्थिति में रहता.
- (4) उपरोक्त उल्लिखित विश्वविद्यालय में ली गई सेवाओं की अवधि के अनुपात में उप-धारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के पेंशन तथा ग्रेज्युटो का भुगतान और संचित अधिवाषिता निधि या इस प्रकार के अन्य निधियों का दायित्व इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय तथा छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय का होगा.
48. (1) धारा 47 की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को नियत दिनांक पर एवं उसी धारा की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की उक्त उप-धारा (2) के खण्ड (क) के अधीन आदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक को भविष्यनिधि खाते में जमा राशि, छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय को अन्तर्गत की जाएगी एवं उक्त भविष्यनिधि खाते की देयता छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय की देयता होगी.
- (2) इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अथवा शासन के, जैसी भी स्थिति हो, अधिवाषिता निधि एवं इस प्रकार की अन्य कोई निधि यदि कोई हो, तो उनमें संचित धन चूंकि धारा 47 की उप-धारा (1) एवं (4) में निर्दिष्ट व्यक्ति की ओर से अधिवाषिता निधि एवं इसी प्रकार की अन्य निधि यदि हो, में जमा किया हुआ धन है, इस संचित धन में से विश्वविद्यालय को अदायगी की जाएगी एवं इस प्रकार अदा किया गया धन ऐसे अधिवाषिता निधि या इस प्रकार के अन्य निधियों यदि कोई हों, जो विश्वविद्यालय द्वारा अपने कर्मचारियों के लाभ के लिये स्थापित किये जा सकते हैं, का हिस्सा होगा.
49. (1) इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय के परामर्श से शासन, जैसा कि आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, तदनुसार उतना धन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अपने निधि से इस अधिनियम के अंगिकरण में आने पर विश्वविद्यालय को प्रदान करेगा.
- (2) राज्य शासन यह प्रयास करेगा कि उप-धारा (1) के अधीन आदेश, विश्वविद्यालय की स्थापना के 18 माह के भीतर जारी किया जाए.

भविष्यनिधि, पेंशन एवं अन्य निधियां.

निधि का अन्तर्गत.

#### अध्याय-नौ

#### राज्य शासन की आपातकालीन शक्तियां

50. (1) यदि राज्य शासन का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय में कुप्रबंधन अथवा वित्तीय कुप्रबंधन के कारण ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं जिससे विश्वविद्यालय का वित्तीय स्थायित्व खतरे में पड़ गया है तो वह अधिसूचना के द्वारा यह घोषित कर सकता है कि विश्वविद्यालय का वित्तीय प्रबंध राज्य शासन के नियंत्रण के अधीन होगा.
- (2) उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी प्रत्येक अधिसूचना, प्रथम दृष्टि में, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दिनांक से एक वर्ष के लिये प्रवर्तन में रहेगी एवं राज्य शासन समय-समय पर इसी प्रकार की अधिसूचनाओं के द्वारा पठन की कालावधि जितना वह उचित समझे बढ़ा सकता है परन्तु
- राज्य शासन का तत्पय परिस्थितियों में वित्तीय नियंत्रण ग्रहण करेगा.

- (3) उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना के प्रवर्तन कालावधि के दौरान राज्य शासन के कार्यकारी प्राधिकारों का विस्तार इस प्रकार बढ़ जाएगा कि उक्त विश्वविद्यालय को ऐसे निर्देश दे सकेगा कि वित्तीय औचित्य के ऐसे सिद्धान्तों का, जो कि निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाये, अनुपालन करे एवं इस प्रयोजन के लिये ऐसे अन्य निर्देश दे सकेगा, जिन्हें राज्य शासन आवश्यक एवं पर्याप्त समझे.
- (4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे निर्देश में निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित करने की अपेक्षा की जा सकती है—
- (क) बजट का शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुतिकरण;
- (ख) वित्तीय विवक्षताओं से युक्त प्रत्येक प्रस्ताव का शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुतिकरण;
- (ग) विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित अधिकारियों अध्यापकों एवं अन्य व्यक्तियों के वेतनमान एवं भत्तों की दरों में पुनरीक्षण के प्रत्येक प्रस्ताव का शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुतिकरण;
- (घ) विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित सभी अथवा उनके किसी वर्ग के व्यक्तियों के वेतनों एवं भत्तों में कटौती;
- (ङ) वेतनमानों और भत्तों की दरें कम करना; एवं
- (च) ऐसे अन्य विषयों से संबंधित प्रस्ताव, जो विश्वविद्यालय के वित्तीय दबाव को कम करे.
- (5) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के प्रत्येक प्राधिकारी एवं प्रत्येक अधिकारी के लिये यह बंधनकारक होगा कि वह इस धारा के अंतर्गत दिये गए निर्देश को क्रियान्वित करे.
- (6) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अधिकारी, इस धारा के अधीन दिये गए निर्देश का अनुपालन न किये जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय के निधि अथवा संपत्ति के दुरुपयोग के लिये जिसका वह एक पक्ष रहा हो अथवा दायित्व निर्वहन की उसके द्वारा की गई घोर उपेक्षा के कारण जो घटित अथवा सुकर हुआ है, उसके लिये व्यवितगत रूप से उत्तरदायी होगा एवं पशुपालन विभाग के प्रभारी सचिव द्वारा जारी प्रमाणपत्र पर संबंधित अधिकारी से वसूली भूराजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी:

परन्तु संबंधित व्यक्तियों को स्पष्टीकरण देने का समुचित अवसर दिये बिना एवं उस स्पष्टीकरण पर, शासन द्वारा जब तक विचार न कर लिया जाए, क्षति की वसूली की कार्यवाही राजस्व बकाया के रूप में नहीं की जाएगी.

कतिपय परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन के लिए विशेष उपबंध.

51. (1) सूचना प्राप्त होने अथवा अन्यथा शासन को यदि यह संतुष्टि हो जाती है कि ऐसी परिस्थिति निर्मित हो गई है जिसमें अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, विश्वविद्यालय का प्रशासन, विश्वविद्यालय के हितों को हानि पहुंचाए बिना नहीं चलाया जा सकता एवं विश्वविद्यालय के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो अधिसूचना के द्वारा जिसमें कारण विनिर्दिष्ट करते हुए, शासन यह निर्देश देगा कि उप-धारा (2), (3), (4) एवं (5) के प्रावधान, अधिसूचना में निर्दिष्ट दिनांक से (जो इस धारा में इसमें इसके पश्चात् नियत दिनांक के रूप में निर्दिष्ट है) विश्वविद्यालय पर प्रभावशील होंगे.
- (2) उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना (जो आगे अधिसूचना के रूप में निर्दिष्ट है) नियत दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवर्तन में रहेगी एवं शासन समय-समय पर जैसा कि

परन्तु, अधिसूचना की कुल प्रवर्तन-अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- (3) नियत दिनांक से तत्काल पूर्व पदासीन कुलपति, नियत दिनांक के होते हुए भी यदि उसकी पदावधि समाप्त न हो तो भी अपना पद रिक्त कर देगा तथा अधिसूचना प्रसारण के साथ ही साथ, राज्य शासन से परामर्श कर कुलाधिपति अन्य व्यक्ति को कुलपति नियुक्त करेगा एवं इस प्रकार से नियुक्त कुलपति अधिसूचना की प्रवर्तन अवधि के दौरान पदासीन रहेगा :

परन्तु, इस प्रकार से नियुक्त कुलपति, अधिसूचना प्रवर्तन अवधि के अवसान होते हुए भी उसके उपरान्त अधिकतम छः माह की अवधि के लिये तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं करता।

- (4) नियत दिनांक से निम्नलिखित परिणाम सुनिश्चित होंगे, अर्थात् :-
- (क) कार्य परिषद् या विद्या परिषद् के सदस्य के रूप में पद धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, नियत दिनांक के तत्काल पूर्व उस पद पर नहीं रह जाएगा।
- (ख) जब तक कार्य परिषद् अथवा विद्या परिषद् का पुनर्गठन न हो जाए, उप-धारा (3) के अंतर्गत नियुक्त कुलपति, कार्य परिषद् एवं विद्या परिषद् को इस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त अथवा अधिरोपित शक्तियों एवं दायित्वों, का निर्वहन करेगा :

परन्तु, कुलाधिपति यदि वह आवश्यक समझे तो राज्य शासन से परामर्श कर एक शिक्षाशास्त्री, एक प्रशासनिक विशेषज्ञ एवं एक अर्थशास्त्री की एक समिति, उप-धारा (3) के अंतर्गत नियुक्त कुलपति की शक्तियों और दायित्वों के निर्वहन में सहायता के लिये नियत कर सकता है।

- (5) अधिसूचना की प्रवर्तनशीलता अवधि समाप्त होने के पूर्व, यथासाध्य रूप में यथाशीघ्र, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्य परिषद् एवं विद्या परिषद् गठित करने के लिये कुलपति कदम उठाएगा और इस तरह से गठित कार्य परिषद् एवं विद्या परिषद्, अधिसूचना की प्रवर्तन अवधि समाप्त होने के दिनांक के ठीक आगामी दिनांक से अथवा उपरोक्त निकाय का गठन जिस दिनांक को किया गया हो इनमें से जो दिनांक उत्तरवर्ती होगा, उस दिनांक से कार्य परिषद् एवं विद्या परिषद् कार्य करना आरम्भ कर देगी :

परन्तु, अधिसूचना की प्रवर्तनशीलता की अवधि समाप्त होने के पूर्व यदि कार्य परिषद् एवं विद्या परिषद् का गठन न हो सके तो कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति के अध्याधीन कुलपति, इन प्राधिकरणों की प्रत्येक शक्तियों का प्रयोग अधिसूचना की प्रवर्तनशीलता-अवधि समाप्त होने के बाद तब तक करेगा जब तक कि कार्य परिषद् एवं विद्या परिषद् का यथास्थिति इस प्रकार गठन न हो जाए।

#### अध्याय-दस

#### प्रकीर्ण

52. (1) कुलाधिपति को, उस व्यक्ति अथवा उन व्यक्तियों के द्वारा जिसे/जिन्हें वह निर्देशित करे निरीक्षण कराने का अधिकार होगा—
- (क) विश्वविद्यालय, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कार्यशालाओं एवं उपकरणों का;

निरीक्षण एवं जांच.

- (ख) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी भी महाविद्यालय, संस्थान अथवा छात्रावास का;
- (ग) विश्वविद्यालय द्वारा कराए जाने वाले अध्यापन एवं अन्य कार्यों; अथवा
- (घ) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी परीक्षा का संचालन.
- (2) विश्वविद्यालय के प्रश्नसूची या वित्त से संबंधित किसी विषय के संबंध में किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के माध्यम से जिसे/जिन्हें वह निर्देशित करे, जांच कराने का अधिकार भी कुलाधिपति को होगा.
- (3) प्रत्येक मामले में कुलाधिपति, कोई जांच अथवा निरीक्षण करने के अपने आशय से विश्वविद्यालय को सूचित कराएगा तथा इस प्रकार की जांच या निरीक्षण में अपना प्रतिनिधि रखने का विश्व-विद्यालय को अधिकार होगा.
- (4) इस प्रकार के निरीक्षण या जांच के परिणामों के संदर्भ में, कुलाधिपति अपनी राय से विश्वविद्यालय को अवगत कराएगा एवं उस पर विश्वविद्यालय का मत जानने के बाद, जो कार्रवाई की जानी है, उसके संबंध में विश्वविद्यालय को परामर्श देगा एवं की जाने वाली ऐसी कार्रवाई की समय-सीमा निर्धारित करेगा.
- (5) कुलाधिपति द्वारा दी गई सलाह पर निर्धारित की गई कार्रवाई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में विश्वविद्यालय कुलाधिपति को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रतिवेदन देगा.
- (6) विश्वविद्यालय यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई कार्रवाई नहीं करता अथवा विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई कुलाधिपति की राय में संतोषजनक न हो, तो इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये किसी स्पष्टीकरण अथवा किये गये प्रतिपादन पर विचार करने के उपरांत कुलाधिपति जैसा वह उचित समझे, निर्देश जारी कर सकता है एवं विश्वविद्यालय उस निर्देश का पालन करेगा.
- (7) विश्वविद्यालय यदि ऐसे निर्देश का ऐसे समय सीमा के भीतर, जैसा कि कुलाधिपति द्वारा इस निमित्त निर्धारित की जाये, पालन नहीं करता है तो कुलाधिपति को अधिकार होगा कि ऐसे निर्देशों का पालन कराने के लिये वह किसी व्यक्ति अथवा निकाय को नियुक्त करे एवं उस पर जितना आवश्यक हो, व्ययों के लिये आदेश दे सकता है.
- वार्षिक रिपोर्ट.
53. (1) कुलाधिपति के निर्देशन में विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा एवं जिस वार्षिक सभा में उस पर विचार होना हो, उसके न्यूनतम एक माह पूर्व उसे कार्य परिषद् को प्रस्तुत किया जाएगा.
- (2) कार्य परिषद्, वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद उसकी एक प्रति शासन को प्रेषित करेगी.
- (3) वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति प्राप्त होने के बाद शासन उस पर अपनी टिप्पणियों के साथ उसे विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करेगा.

55. (1) ऐसा कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी में सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किये जाने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह ऐसे नामनिर्देशन की तारीख को :—
- (क) विकृत चित्त हो;
- (ख) दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत अभ्यर्थी है या अनुन्मोचित दिवालिया हो; अथवा
- (ग) नैतिक पतन में अन्तर्वलित होने वाले किसी अपराध के लिये आपराधिक न्यायालय द्वारा कारावास से दण्डित किया गया हो;
- (2) उप-धारा (1) के अधीन कोई व्यक्ति अपात्र है अथवा नहीं, यह विवाद या संदेह उत्पन्न होने पर ऐसे मामले कार्य परिषद्, कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगी जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा.
56. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण अथवा अन्य निकायों में (पदेन सदस्यों को छोड़कर) सदस्यों की सभी आकस्मिक रिक्तियों, उस व्यक्ति या निकाय द्वारा यथाशीघ्र भरी जाएंगी, जिसने उस सदस्य को नामनिर्दिष्ट किया था एवं जिसका स्थान रिक्त हुआ है एवं आकस्मिक रिक्तियों हेतु नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का संबंधित प्राधिकारी अथवा निकाय के सदस्य के रूप में कार्यकाल उतनी ही शेष अवधि के लिये होगा जितना पूर्ववर्ती सदस्य की सदस्यता बनी रहने पर होता :
- परन्तु यदि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण अथवा निकाय के सदस्य के रूप में अवधि (कार्यकाल) पूर्ण होने की तारीख के पूर्व छः माह के भीतर ऐसी रिक्ति हो तो आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति नहीं की जाएगी.
57. (1) यदि कोई व्यक्ति किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध हुआ है तथा कार्य परिषद् की राय में उक्त अपराध में नैतिक पतन सन्निहित है अथवा वह घोर दुराचरण का दोषी है तो इस कारण पर कार्य परिषद् की सभा में कुल सदस्यों के बहुमत एवं कार्य परिषद् के उपस्थित एवं मृतदानकर्ता सदस्यों के न्यूनतम दो तिहाई बहुमत से, पारित संकल्प द्वारा संबंधित व्यक्ति को विश्वविद्यालय के संबंधित प्राधिकरण की सदस्यता से इस निमित्त लिखित में आदेश के माध्यम से कार्य परिषद् द्वारा हटाया जा सकता है एवं इसी कारण पर कार्य परिषद् संबंधित व्यक्ति को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या प्रदान की गई उपाधि या पत्रोपाधि अथवा अन्य शैक्षिक प्रशस्ति वापस ले सकती है.
- (2) जो व्यक्ति विकृत चित्त हो गया हो या जिसने स्वयं को दिवालिया न्यायनिर्णीत करने का आवेदन दिया हुआ हो या जो दिवालिया न्यायनिर्णीत हुआ हो, उसे भी कार्य परिषद्, इस निमित्त लिखित में आदेश द्वारा विश्वविद्यालय के संबंधित प्राधिकरण की सदस्यता से हटा सकती है.
- (3) इस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विरुद्ध तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि उस व्यक्ति को किये जाने वाले प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो.
- (4) उप-धारा (1) अथवा उप-धारा (2) के अंतर्गत, जैसी भी स्थिति हो, इस प्रकार पारित होने के पश्चात्, पारित प्रत्येक आदेश को एक प्रति यथाशीघ्र विहित रीति में संबंधित व्यक्ति को प्रेषित की जाएगी.
58. विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों को समितियों के गठन अथवा पुनर्गठन का अधिकार होगा एवं अपनी शक्तियों का, जैसा वे उचित समझें, उनमें प्रत्यायोजन करेंगे एवं अन्यथा किये गए प्रावधानों को छोड़कर, संबंधित प्राधिकारी के सदस्य एवं ऐसे अन्य व्यक्ति यदि कोई हो, जिन्हें प्रत्येक प्रकरण में संबंधित प्राधिकारी उचित समझे, समाविष्ट होंगे.

सदस्यता के लिए निरहता.

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.

सदस्यता से हटाया जाना.

समितियों का गठन एवं शक्तियों का प्रत्यायोजन.

- कार्यवाहियों का रिक्ति के कारण अविधिमान्य न होना. 59. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण अथवा अन्य निकाय के कामकाज एवं कार्यवाहियों को केवल इस कारण पर अवैध नहीं ठहराया जाएगा कि उसमें कोई रिक्ति है अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय में किसी सदस्य की नियुक्ति में अनियमितता है अथवा ऐसे किसी कार्य अथवा कार्यवाही में जो प्रकरण की गुणात्मकता को प्रभावित न करती हो, कोई दोष अथवा अनियमितता है अथवा केवल इसी कारण पर कि कार्य परिषद् की सभा प्रति तीन माह में एक बार नहीं हुई.
- प्राधिकारियों का लोक सेवक होना. 60. विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव, वित्त अधिकारी, अधिष्ठाता एवं संचालक एवं अन्य कर्मचारी जो इस अधिनियम के किन्हीं प्रावधानों के अनुसरण में कार्य कर रहे हों अथवा कार्य करने का आशय रखते हों, सभी, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 20 के अर्थ में सार्वजनिक सेवक माने जाएंगे.
- कठिनाईयों का निराकरण. 61. (1) इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावशील करने में यदि कोई कठिनाई आती है तो राज्य शासन, इस अधिनियम के प्रावधानों से जो असंगत न हो, राजपत्र में ऐसा आदेश प्रकाशित कर कठिनाई दूर कर सकता है :
- परन्तु, नियत दिनांक से दो वर्ष के अवसान हो जाने के बाद ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा.
- (2) उप-धारा (1) अथवा इस अधिनियम के किन्हीं अन्य प्रावधानों के अंतर्गत जारी प्रत्येक अधिसूचना, जारी होने के बाद यथासंभव शीघ्र, विधान सभा के पटल पर रखी जाएगी एवं विधान सभा के जिस सत्र में वह प्रस्तुत की गई हो, उसके सत्रावसान से पूर्व अथवा विधान सभा का उत्तरवर्ती सत्र इस प्रकार की किसी अधिसूचना में यदि कोई सुधार करता है अथवा सदन यदि तय करता है कि कोई अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिये तो संबंधित अधिसूचना की प्रभावशीलता जैसी भी स्थिति हो, तदनुसार उसके बाद सुधार किये गये रूप में रहेगी अथवा वह निष्प्रभावी हो जाएगी, तथापि, इस प्रकार का सुधार अथवा उसका निरस्तीकरण अधिसूचना के अंतर्गत पूर्व में जो कुछ भी किया जा चुका है, उसकी वैधता के प्रति पूर्वाग्रह रहित होगा.
- व्यक्ति. 62. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर एवं उसके बाद इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (1987 का सं. 20) (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) उन महाविद्यालयों एवं संस्थानों पर, जिन पर यह अधिनियम लागू होता है, लागू होना समाप्त हो जाएगा.
- (2) यह समाप्ति निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगी—
- (क) उक्त अधिनियमि के पूर्ववर्ती प्रवर्तन को;
- (ख) उक्त अधिनियमि के विरुद्ध किये गये किसी अपराध के संदर्भ में दिये गए कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड; या
- (ग) ऐसे शास्ति, समपहरण या दण्ड के संबंध में, कोई जांच, विधिक कार्यवाही या उपचार तथा कोई ऐसी जांच, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित किया जा सकेगा, जारी रखा जा सकेगा अथवा लागू किया जा सकेगा तथा कोई ऐसी शास्ति, समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा, जैसे कि यह अधिनियम पारित नहीं हुआ हो.
- (3) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 के अंतर्गत निर्मित एवं नियत दिनांक पर प्रभावशील सभी परिनियम एवं विनियम, जहां तक इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों तब तक प्रभावशील रहेंगे जब तक कि इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित परिनियमों एवं विनियमों के द्वारा निरस्त न कर

अनुसूची  
[धारा-1 (3)]

विश्वविद्यालय के महाविद्यालय

स. क्र.	महाविद्यालय का नाम	स्थान
1.	पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय	अंजोरा, दुर्ग
2.	दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय	रायपुर
3.	मात्स्यिकी महाविद्यालय	कबीरधाम

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2011

क्रमांक. /115/डी. 191/21-अ/प्रारू./छ. ग./11.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 21 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

**CHHATTISGARH ACT**  
(No. 21 of 2011)

**THE CHHATTISGARH KAMDHENU VISHWAVIDYALAYA ACT 2011**

**TABLE OF CONTENTS**

**Sections**

**CHAPTER-I**  
**Preliminary**

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.

**CHAPTER-II**  
**The Vishwavidyalaya**

3. Establishment of Vishwavidyalaya.
4. Objects of Vishwavidyalaya.
5. Powers and function of Vishwavidyalaya.
6. Admission to Vishwavidyalaya.

**CHAPTER-III**  
**Officers of the Vishwavidyalaya**

7. Officers of Vishwavidyalaya.
8. The Chancellor and his powers.
9. The Vice-Chancellor.
10. Appointment and term of first Vice-Chancellor.
11. Salary and other allowances of Vice-Chancellor.
12. Powers and duties of Vice-Chancellor.
13. Appointment, duty and term of office of the Registrar.
14. Appointment of first Registrar.
15. Finance Officer.
16. Dean of College.
17. Dean of Faculty.
18. Duties of Dean of Faculty.
19. The Directors.
20. Dean of Student Welfare.

**CHAPTER-IV**  
**Authorities of the Vishwavidyalaya**

21. Authorities of Vishwavidyalaya.
22. The Executive Council.
23. Powers of the Executive Council.
24. Meeting of the Executive Council.
25. The Academic Council.
26. Constitution of Academic Council.
27. Powers and functions of Academic Council.
28. The Faculties.
29. The Board of Studies.
30. Finance Committee.
31. Constitution of other authorities.

## CHHATTISGARH ACT

(No. 21 of 2011)

## THE CHHATTISGARH KAMDHENU VISHWAVIDYALAYA ACT, 2011

An Act to establish and incorporate a University for the development of Veterinary, Animal, Fishery and Dairy Sciences in the State of Chhattisgarh and for matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India, as follows :—

## CHAPTER-I

## Preliminary

- |  |    |   |
|--|----|---|
| <b>Short title, extent and commencement.</b> | 1. | <p>(1) This Act may be called the Chhattisgarh Kamdhenu Vishwavidyalaya, Adhiniyam, 2011.</p> <p>(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.</p> <p>(3) (i) This shall extend to the colleges included in the Schedule;</p> <p>(ii) This shall extend to all the colleges and institutions that may be established or maintained by the Vishwavidyalaya in accordance with the provisions of this Adhiniyam, the rules, the statutes, the ordinances and the regulations.</p> <p>(4) It shall come into force on such date as the State Government may appoint by Notification in Official Gazette.</p>  |
| <b>Definitions.</b>                          | 2. | <p>In this Adhiniyam, unless the context otherwise requires,—</p> <p>(i) "Academic Council" means the Academic Council of the Vishwavidyalaya;</p> <p>(ii) "Adhiniyam" means, unless the context otherwise requires, the Chhattisgarh Kamdhenu Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2011;</p> <p>(iii) "Appointed Day" means the date appointed under sub-section (4) of Section 1;</p> <p>(iv) "College" means any College or Institution established or maintained by, or affiliated to the Vishwavidyalaya providing courses of study or training or providing for conduct of research or providing for extension education in veterinary and animal sciences leading to degree, diploma and other academic distinctions of the Vishwavidyalaya.</p> <p>(v) "Constituent Colleges" means the college to be declared as constituent college by the Executive Council;</p> <p>(vi) "Dairy Science" means the science of processing of milk or manufacturing of milk products and marketing thereof;</p> <p>(vii) "Director" means Director of Research, Director of Extension Education, Director of Farms, Director of Instruction, Director of Clinics and others appointed by the Executive Council from time to time;</p> <p>(viii) "Executive Council" means the Executive Council of the Vishwavidyalaya constituted under section 22;</p> <p>(ix) "Extension Education" means the educational activities connected with the training of farmers, goushalas, gousevaks and other groups concerned with the veterinary and animal sciences and various phases of scientific</p> |

technology related to Kamdhenu production and marketing and includes demonstration to carry new technology and innovation to agriculture farms, animal farms, goushalas and homes through the concerned government departments;

- (x) "Faculty" means a Faculty of the Vishwavidyalaya;
- (xi) "Government" means the State Government of Chhattisgarh;
- (xii) "Hostel" means a unit of residence for students of the Vishwavidyalaya, maintained or recognized by the Vishwavidyalaya;
- (xiii) "Kamdhenu" means all the indigenous breeds of cow with HUMP and their progeny;
- (xiv) "Ordinances" means the ordinances of the Vishwavidyalaya.
- (xv) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes as specified by the Government of Chhattisgarh vide notification No. D-4226/479/202 dated the 16th August, 2002 as amended from time to time;
- (xvi) "Panchgavya" means Kamdhenu dung, urine, milk, curd and ghee;
- (xvii) "Prescribed" means prescribed by the statutes or regulations made under this Adhiniyam;
- (xviii) "Regulations" means the regulations of the Vishwavidyalaya;
- (xix) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to the State of Chhattisgarh under Article 341 of the Constitution of India;
- (xx) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to the State of Chhattisgarh under Article 342 of the Constitution of India;
- (xxi) "Statutes" means the statutes of the Vishwavidyalaya;
- (xxii) "Students of the Vishwavidyalaya" means a person enrolled in the Vishwavidyalaya or its colleges for taking a course of study for a degree, diploma or other academic distinctions duly instituted.
- (xxiii) "Teachers of the Vishwavidyalaya" means persons appointed or recognized by the Vishwavidyalaya for the purpose of imparting instructions and/or conduction and guiding research and/or extension programmes and includes persons who may be declared by the statutes to be teachers;
- (xxiv) "Veterinary and Animal Sciences" includes all the disciplines of veterinary, animal sciences and animal husbandry including domestic animals and birds and its allied sciences, fisheries sciences, dairy science and livestock food technology, panchgavya sciences, sciences of animal kingdom, faunal, wild animals, silk worm, bees etc., including their Natural Resources Management, Production and Protection, Agriculture Engineering and Technology pertaining to animal component, Animal Business Management, Basic Sciences and Humanities in relation to veterinary and animal sciences, and any other subject deemed to be related to veterinary and animal sciences;
- (xxv) "Vishwavidyalaya" means the Chhattisgarh Kamdhenu Vishwavidyalaya

**CHAPTER-II**  
**The Vishwavidyalaya**

- |   |    |   |
|---|----|---|
| <b>Establishment of Vishwavidyalaya.</b>        | 3. | <p>(1) There shall be a University established by the name of the "Chhattisgarh Kamdhenu Vishwavidyalaya".</p> <p>(2) The Vishwavidyalaya shall be a body corporate, shall have perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by the said name.</p> <p>(3) The location of the headquarters of the Vishwavidyalaya shall be at such place as may be declared by the Government of Chhattisgarh.</p>  |
| <b>Objects of Vishwavidyalaya.</b>              | 4. | <p>The following shall be the objectives of the Vishwavidyalaya, namely :—</p> <p>(i) to make provision for imparting education-towards development of quality human resources in different branches of study in veterinary and animal sciences;</p> <p>(ii) to further the advancement of learning and conducting of research in veterinary and animal sciences;</p> <p>(iii) to undertake extension education in veterinary and animal sciences;</p> <p>(iv) to promote partnership and linkages with national and international educational institutions;</p> <p>(v) to liaise and establish vital linkages with the departments and organise working in the field of veterinary and animal sciences in the State by whatever name called governed by the Government of Chhattisgarh or the Union Government;</p> <p>(vi) to liaise with national and international research institutes, specialized in the field of veterinary and animal sciences with a view to keep abreast of the latest technology;</p> <p>(vii) to organize and impart continued education, refresher's training courses and summer institutes, hold technical symposiums and workshops to bring about professional development and skill improvement of the technical personnel in the field;</p> <p>(viii) to make provision for the study of basic sciences with a view to support other professional studies and thereby integrating such studies in the Vishwavidyalaya curriculum;</p> <p>(ix) to confer such degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions as the Vishwavidyalaya may decide from time to time; and</p> <p>(x) to pursue such other objectives as the Vishwavidyalaya may determine from time to time.</p> |
| <b>Powers and Functions of Vishwavidyalaya.</b> | 5. | <p>The Vishwavidyalaya shall have the following powers and functions, namely :—</p> <p>(i) to provide for instruction, training and research in veterinary and animal sciences including self-finance mode ;</p> <p>(ii) to provide for dissemination of the finding of research and technical information through extension programmes;</p> <p>(iii) to institute degrees, diplomas and other academic distinctions ;</p>  |

- (iv) to institute courses of study and hold examinations for and confer degrees, diplomas and other academic distinctions on persons who have pursued and qualified for prescribed courses of study or research or both in the Vishwavidyalaya including short courses or research or both;
- (v) to confer such honorary degrees or other distinctions as may be prescribed by statutes;
- (vi) to provide lectures training and instruction for field workers, livestock farmers and other persons not enrolled as regular students of the Vishwavidyalaya;
- (vii) to collaborate in academic research and education programmes with other Universities, institutes of Indian Council of Agricultural Research and public or private research and development organizations or institutions;
- (viii) to establish, run and maintain colleges, research stations, Vigyan Kendras and any other institutions relating to veterinary and animal sciences and other allied sectors;
- (ix) to affiliate colleges, institutions or units to the Vishwavidyalaya and to withdraw affiliation from colleges, institutions or units;
- (x) to establish and maintain laboratories, libraries, research stations, institutions and museums for teaching, research and extension education;
- (xi) to institute teaching, research and extension education posts and to appoint persons to such posts;
- (xii) to create administrative and other posts and to appoint persons to such posts;
- (xiii) to institute awards, fellowships, scholarships, studentships, bursaries, exhibitions, medals and prizes in accordance with statutes;
- (xiv) to establish and maintain hostels, recognize hostel not maintained by the Vishwavidyalaya and to withdraw recognition therefrom;
- (xv) to establish and maintain residential accommodation for the employees of the Vishwavidyalaya;
- (xvi) to fix, demand and receive such fees and other charges as may be prescribed;
- (xvii) to supervise and control residence, conduct and discipline of the students of the Vishwavidyalaya and to make arrangements for promoting their health and welfare;
- (xviii) to make special provision for research and extension education in veterinary and animal sciences in relation to arid areas and areas prone to scarcity in the State of Chhattisgarh;
- (xix) to institute and manage bureau of information and employment for the benefit of the Vishwavidyalaya;
- (xx) to make arrangements for training for competitive examinations for recruitment to services under the Government of India and the State Government.
- (xxi) to inspect colleges, recognised institutions and approved institutions and to take measures to ensure that proper standards of instruction, teaching and training are maintained by them and that adequate library and laboratory provisions are made therein;

- (xxii) to lay down and regulate the scale of salary and allowances and other conditions of service of the members of the teaching, other academic and non-teaching staff of the Vishwavidyalaya with the approval of State Government;
- (xxiii) to provide for recognition of the students union or association of teachers, academic staff or other employees of the Vishwavidyalaya, affiliated colleges and recognised institutions;
- (xxiv) to hold and manage trust and endowment, donations or funds which may become vested in it for the purposes of the Vishwavidyalaya by grants, testamentary depositions or otherwise, and to invest such endowment, donations or funds in any manner that the Vishwavidyalaya may deem fit;

Provided that no donations from any foreign country, foreign foundation or any other person in such country shall be accepted by the Vishwavidyalaya without the approval of the State Government;

- (xxv) to accept both specific and non-specific grants from funding institutions like Indian Council of Agricultural Research, Indian Council of Industrial Research or Indian Institute of Social Sciences or any other department, authority or body recognised by the Government of India and the State Government;
- (xxvi) to borrow money with or without security for such purposes as may be approved by the State Government from the Central Government, Indian Council of Agricultural Research or other incorporated bodies, subject to the provisions of this Adhiniyam;
- (xxvii) to establish hospitals, diagnostic centers for veterinary and animal sciences; and
- (xxviii) to do all such acts and things, whether incidental to the powers and functions aforesaid or not, as may be necessary or desirable to further the objects of the Vishwavidyalaya.

Admission to  
Vishwavidyalaya.

6. The Vishwavidyalaya shall, subject to the provisions of this Adhiniyam and statutes and regulations, be open to all persons irrespective of caste, creed, religion and sex.

### CHAPTER-III Officers of the Vishwavidyalaya

Officers of Vishwa-  
vidyalaya

7. The Vishwavidyalaya shall consist of the following Officers, namely :—
- (i) The Chancellor;
  - (ii) The Vice-Chancellor;
  - (iii) The Registrar;
  - (iv) Finance Officer;
  - (v) The Dean of College/Dean of Faculties;
  - (vi) Directors; and
  - (vii) such other persons as may be declared by the statutes to be officers of the Vishwavidyalaya.

The Chancellor and  
his powers.

8. (1) The Governor of Chhattisgarh shall be the Chancellor of the Vishwavidyalaya.
- (2) The Chancellor shall be the head of the Vishwavidyalaya and shall, when present, preside over convocations of the Vishwavidyalaya and confer degrees, diplomas or other academic distinctions upon persons entitled to receive them.
- (3) Where power is conferred upon the Chancellor to nominate persons to the authorities of the Vishwavidyalaya, the Chancellor shall nominate persons to

- (4) The Chancellor may, on his own motion or on application, call for and examine the record of any Officer or authority of the Vishwavidyalaya in respect of any proceeding to satisfy himself as to the regularity of such proceeding for the correctness, legality or propriety of any decision taken or order made therein; and if in any case, it appears to the Chancellor that any such decision or order should be modified or annulled, reversed or remitted for reconsideration, he may pass orders accordingly:

Provided that every application to the Chancellor for the exercise of the powers under this sub-section shall be referred within three months from the date on which the proceeding, decision or order to which the application relates was communicated to the applicant:

Provided further that no order prejudicial to any person shall be passed unless such person has been given an opportunity of making his representation.

- (5) The Chancellor shall exercise such other powers and perform such other functions as may be conferred or imposed on him by or under this Adhiniyam.

9. (1) Every appointment of the Vice-Chancellor shall be made by the Chancellor from out of a panel of three names of eminent persons who possess master degree in the field of veterinary and allied sciences with minimum ten years experience as educationist or researcher or administrator in the university system as recommended by the committee referred to in sub section 2 and such panel shall not contain the name of any member of the said Committee:

The Vice-Chancellor.

Provided that preference will be given to a person who possesses doctorate qualification in veterinary and allied sciences with minimum ten years experience as educationist or researcher or administrator in the university system.

- (2) For the purpose of sub-section (1), the Committee shall consist of three persons from whom one shall be nominated by the Executive Council and one shall be nominated by the State Government and one shall be nominated by the Chancellor:

Provided that the persons so nominated shall not be an employee of, or a member of any of the authorities of, or any contractor or service provider of the Vishwavidyalaya.

- (3) The Vice-Chancellor shall hold office for a period of five years and shall not be eligible for reappointment for another term:

Provided that no person shall hold the office of the Vice-Chancellor who attains the age of sixty five years:

Provided further that :—

- (i) the Chancellor may direct that a Vice-Chancellor, whose term of office has expired shall continue in office for such period, not exceeding a total period of six months, as may be specified in the direction;
- (h) the Vice-chancellor may, by writing under his hand addressed to the Chancellor, resign his office.
- (4) If at any time upon representation made or otherwise and after making such enquiries as may be deemed necessary, it appears to the Chancellor that the Vice-Chancellor:
- a) has made default in performing any duty imposed on him by or under

(b) has acted in a manner prejudicial to the interests of the Vishwavidyalaya; or

(c) is incapable of managing the affairs of the Vishwavidyalaya, the Chancellor may, notwithstanding the fact that the term of office of the Vice-Chancellor has not expired, by an order in writing stating the reasons therein, require the Vice-Chancellor to relinquish his office as from such date as may be specified in the order.

(5) No order under sub-section (4) shall be passed unless the particulars of the grounds on which such act is proposed to be taken is communicated to the Vice-Chancellor and he or she is given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed order.

(6) When any temporary vacancy occurs in the Office of the Vice-Chancellor or if the Vice-Chancellor is, by reason of illness, absence or for any other reason, unable to exercise the powers and perform the duties of his office, the Chancellor shall, as soon as possible, in consultation with the Government, make such arrangements for carrying on the functions of the Vice-Chancellor as he deems fit.

**Appointment and Term of the first Vice-Chancellor.**

10. (1) Within six months from the commencement of this Adhiniyam, the first Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor in consultation with the Government for a period not exceeding five years or till the attainment of superannuation age of 65 years whichever is earlier and on salary and such other terms and conditions as the Chancellor may think fit:

Provided that, the Vice-Chancellor so appointed shall not be eligible for reappointment for another term.

(2) It shall be the duty of the first Vice-Chancellor to make arrangements for constituting the Executive Council, the Academic Council and such other authorities of the Vishwavidyalaya specified in section 21 within one year from the commencement of this Adhiniyam, or such longer period, not exceeding one and a half year, as the Government may, by notification, allow.

(3) The authorities constituted under Section 21 shall commence to exercise their powers and perform their functions on such date or dates as the Government may, by notification, specify.

(4) It shall be the duty of the first Vice-Chancellor to make, with the approval of the Chancellor, such statutes, ordinances and regulations as may be necessary, and make them available to the respective authorities, competent to deal with them and such statutes, ordinances and regulations shall be published in the Chhattisgarh Gazette.

(5) Notwithstanding anything contained in this Adhiniyam and the statutes, ordinances and regulations, until such time an authority is duly constituted, the first Vice-Chancellor may appoint any officer or constitute any committee temporarily to exercise and perform any of the powers and functions of such authority under this Adhiniyam, the statutes, ordinances and the regulations.

**Salary and other allowances of Vice-Chancellor.**

11. The Vice-Chancellor shall be a whole time salaried officer of the Vishwavidyalaya and his emoluments and other terms and conditions of service shall be prescribed by the statute.

**Powers and duties of Vice-Chancellor.**

12. (1) The Vice-Chancellor shall be the academic head and the principal executive officer of the Vishwavidyalaya and shall in the absence of the Chancellor, preside over any convocation of the Vishwavidyalaya and confer degrees.

diplomas or other academic distinctions upon persons entitled to receive them and he shall be Chairman of the Executive Council, Academic Council and Finance Committee and shall be entitled to be present at, and to address, any meeting of any authority of the Vishwavidyalaya but shall not be entitled to vote there unless he is a member of the authority concerned.

- (2) The Vice-Chancellor shall exercise control over the affairs of the Vishwavidyalaya and shall be responsible for due maintenance of discipline in the Vishwavidyalaya.
- (3) The Vice-Chancellor shall convene meetings of the Executive Council and the academic Council.
- (4) The Vice-Chancellor shall ensure that the provisions of this Adhiniyam, the statutes, ordinances and regulations are observed and carried out and he may exercise all powers necessary for this purpose.
- (5) The Vice-Chancellor shall have power to take action on any matter and shall, by order, take such action as he may deem necessary but shall, as soon as may be, thereafter report the action taken to the officer or authority or body who or which would have ordinarily dealt with the matter:

Provided that no such order shall be passed unless the person likely to be affected has been given a reasonable opportunity of being heard.

- (6) Any person, aggrieved by any order of the Vice-Chancellor under sub-section (5) may prefer an appeal to the Executive Council within thirty days from the date on which such order is communicated to him and the Vice-Chancellor shall give effect to the order passed by the Executive Council on such appeal.
  - (7) The Vice-Chancellor shall be responsible for co-ordination and integration of teaching, reasearch, extension education and curriculum development.
  - (8) The Vice-Chancellor shall exercise such other duties as may be prescribed.
13. (1) The Registrar shall be a whole time salaried officer of the Vishwavidyalaya and shall be appointed by Government on such terms and conditions as may be fixed by Government.
- (2) The Registrar shall be a person who is currently serving under the State Government and who is not below the rank than that of a Deputy Secretary to the State Government or an officer of the State Livestock Development or Fisheries department in the pay scale of Joint Director of the departments.
  - (3) The Registrar shall be the ex-officio Secretary to the Executive Council, the Academic Council and the Board of Studies.
  - (4) When the office of the Registrar is temporarily, for a period not exceeding three months, fall vacant, or when the Registrar is, by reason of illness, absence or for any other reason, unable to exercise the powers, perform the functions and discharge the duties of his office, the powers, functions and duties of the office of the Registrar shall be exercised, performed and discharged by such person as the Vice-Chancellor may appoint.
  - (5) It shall be the duty of the Registrar to manage the property and investments of the Vishwavidyalaya including trust and endowed property in accordance with the decision of the Finance Committee and the Executive Council:
    - (a) to be the custodian of the records, the common seal and such other properties of the Vishwavidyalaya as the Executive Council shall commit to his charge; and

Appointment duty and term of office of the Registrar.

- (b) to issue all notices convening meetings of the Executive Council the Academic council, the Board of Studies, the board examinations and of any committee appointed by the authorities of the Vishwavidyalaya.
- (6) In all suits and other legal proceedings by or against the Vishwavidyalaya, the pleadings shall be signed and verified by the registrar and all processes in such suits and proceedings shall be issued to, and served on, the Registrar.
- (7) The Registrar shall exercise such other powers and perform such other functions and discharge such other duties as may be prescribed by the Executive Council.
- Appointment of first Registrar. 14. The first Registrar shall be appointed by the Government within three months from the appointed day as per provisions of Section 13.
- The Finance Officer. 15. (1) The Finance Officer shall be a whole time salaried officer of the Vishwavidyalaya appointed by the State Government from amongst officers belonging to State Finance Department not below the rank of Deputy Director Finance.
- (2) The emoluments and other terms and conditions of service of the Finance officer shall be such as may be prescribed.
- (3) Where the office of the Finance Officer is vacant, or when the Finance Officer is, by reason of illness or absence or any other cause unable to exercise the powers, perform the functions and discharge the duties of his office, the power, function and duties of the office of the Finance Officer shall be exercised, performed and discharged by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.
- (4) The Finance Officer shall be the ex-officio Secretary to the Finance Committee.
- (5) **The Finance Officer shall :—**
- (a) exercise general supervision over the funds of the Vishwavidyalaya and shall advise the Vishwavidyalaya with regard to its financial matters; and
- (b) exercise such other powers and perform such other functions, as may be assigned to him by the Executive Council, or as may be prescribed.
- Provided that the Finance Officer shall incur any expenditure or make any investment with prior approval of the Executive Council or as may be prescribed.
- (6) Subject to the control of the Executive Council, the Finance Officer shall :—
- (a) ensure that the limits fixed by the Executive Council for recurring and non-recurring expenditure for a year are not exceeded and that the moneys are expended for the purposes for which they are granted or allotted;
- (b) be responsible for preparation of annual accounts, financial estimates and the budget of the Vishwavidyalaya and for their presentation to the Finance Committee and the Executive Council;
- (c) keep a constant watch on the cash and bank balances and on investments;

- (d) watch the progress of the collection of revenue and advise with regard to the methods of collection of revenue;
- (e) ensure that the registers of buildings, land, furniture equipments etc. are maintained up to date, and the stock checking is conducted in respect of equipments and other consumable materials in all offices, laboratories, colleges and institutions maintained by the Vishwavidyalaya;
- (f) bring to the notice of the Vice-Chancellor any unauthorized expenditure or other financial irregularity and suggest appropriate action to be taken against persons at fault; and
- (g) call from any office, laboratory, college or institution maintained by the Vishwavidyalaya, any information or returns as he may consider necessary for the exercise of his powers, performance of his functions or discharge of his duties.
16. (1) Each College shall have a Dean, who shall be a whole time salaried officer of the Vishwavidyalaya appointed by the Vice-Chancellor in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed. **Dean of College.**
- (2) The Dean of College shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed.
17. (1) Each Faculty of the Vishwavidyalaya shall have a Dean, who shall be a whole time salaried officer of the Vishwavidyalaya appointed by the Vice-Chancellor in such manner prescribed and on such terms and conditions as may be prescribed. **Dean of Faculty.**
- (2) The Dean of each Faculty shall be the Chief Executive and Academic officer of the faculty responsible to the Vice-Chancellor for its administration.
18. (1) The Dean of Faculty shall be responsible for organization, administration and conducting teaching, research and extension education, administration of farms, research center's, hospitals, diagnostic centers, etc. under his jurisdiction. **Duties of Dean faculty.**
- (2) Every Dean of Faculty shall have such other powers and perform such other duties as are laid down by or under this Adhiniyam and as may be prescribed.
19. (1) The Directors shall be whole time officers of the Vishwavidyalaya appointed by the Vice-Chancellor in the manner prescribed. **The Directors.**
- (2) The Directors shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed.
20. (1) The Dean of the Student Welfare shall be a whole time salaried officer of the Vishwavidyalaya and shall be appointed by the Vice-Chancellor in such manner prescribed and on such terms and conditions of service as may be prescribed. **Dean of student welfare.**
- (2) The Dean of the Student Welfare shall exercise such powers and perform such duties as may be conferred or imposed on him by the Statutes.

CHAPTER-IV  
Authorities of the Vishwavidyalaya

- Authorities of Vishwadiyalaya.
21. The authorities of the Vishwavidyalaya shall be the Executive Council, the Academic Council, the Board of Studies, the Finance Committee and such other bodies of the Vishwavidyalaya as may be declared by the statutes to be authorities of the Vishwavidyalaya.
- The Executive Council.
22. (1) The Chancellor shall, as soon as may be after the first Vice-Chancellor is appointed under sub-section (1) of Section 10, take action to constitute the Executive Council.
- (2) The Executive Council shall consist of the following members, namely :—
- Ex-Officio Member**
- (i) The Vice-Chancellor ;
- (ii) The Secretary(s) to Government-in-charge of Animal Husbandry/ Dairy/Fisheries Department(s);
- (iii) The Secretary to Government-in-charge of Finance Department;
- (iv) All Directors;
- (v) All Deans of Faculties;
- (vi) All Deans of Colleges;
- (vii) The Registrar.
- Other Members—**
- (i) Two scientists (not below the rank of Professor) having special knowledge or practical experience in teaching, research and extension education in the field of veterinary and animal sciences to be nominated by the Chancellor.
- (ii) one person from outside the Vishwavidyalaya in the field of veterinary and animal sciences to be nominated by the Chancellor.
- (iii) one livestock farmer to be nominated by the Government.
- (iv) one representative from among the goushalas in the state to be nominated by the State Government.
- (v) one representative of the industries connected with dairy, to be nominated by the Government.
- (vi) one woman social worker to be nominated by the Government.
- (vii) one representative of the Indian Council of Agricultural Research (Veterinary Division), to be nominated by Director General ICAR.
- (viii) one representative of the Veterinary Council of India to be nominated by the head of that Council.
- (ix) Two Members of the State Legislative Assembly to be nominated by the Speaker of the Chhattisgarh Vidhan Sabha in consultation with the Leader of the House and the Leader of Opposition:

Provided that no member so nominated shall be disqualified for being a member of the Vidhan Sabha:

Provided further that a member of the Chhattisgarh Vidhan Sabha nominated to the Executive Council shall cease to be a

- (x) The Vice-Chancellor shall be the ex-officio Chairman of the Executive Council and the Registrar shall be the ex-officio Member Secretary to the Executive Council.
- (xi) The terms of office of the Members of the Executive Council other than the ex-officio members shall be four years.
- (xii) The members of the Executive Council shall be entitled to receive sitting fees from the Vishwavidyalaya and such daily and travelling allowances as may be prescribed:

Provided that nothing contained in this sub-section shall preclude any member from drawing his normal emoluments or allowances to which he is entitled by virtue of the office he holds.

- (xiii) A member of the Executive Council, other than the ex-officio member, may tender resignation of his membership at any time before the expiry of the period of his tenure and such resignation shall be conveyed to the Chancellor by a letter in writing by the member and the resignation shall take effect from the date of tendering the resignation.

23. The Executive Council shall have the following powers, namely :—

**Powers of Executive Council.**

- (i) to make, amend or repeal the statutes, ordinances and regulations;
- (ii) to consider and review the financial requirements and approve the annual financial estimates of the Vishwavidyalaya;
- (iii) to provide for the administration of any funds placed at the disposal of the Vishwavidyalaya for the purposes intended;
- (iv) to arrange for the investment and withdrawal of funds of the Vishwavidyalaya;
- (v) to borrow money for the purposes of the Vishwavidyalaya, with the approval of the Government on the security of the property of the Vishwavidyalaya and to make suitable arrangements for its repayment;
- (vi) to hold, control and administer the properties of the Vishwavidyalaya;
- (vii) to determine the form of, provide for the custody and regulate the use of the common seal of the Vishwavidyalaya ;
- (viii) to appoint such committees, either standing or temporary, as it may consider necessary and specify the terms of reference thereof subject to the provisions of this Adhinyam and the statutes;
- (ix) to determine and regulate all questions of policy relating to the Vishwavidyalaya in accordance with the provisions of this Adhinyam and the statutes;
- (x) to make financial provision for the instruction, teachings, research advancement and dissemination of knowledge in such branches of learning and courses of study as may be determined by the Academic Council;
- (xi) to provide for the establishment and maintenance of colleges, hostels, laboratories experimental goushala farms and other facilities, necessary for carrying out the purposes of this Adhinyam;
- (xii) to provide for the institution, maintenance and award of scholarships, fellowships, student ships, bursaries exhibitions, medals and prizes;

- (xiii) to accept on behalf of the Vishwavidyalaya trust, bequest, donation and transfer of any movable or immovable property made to it;
- (xiv) to enter into contract on behalf of the Vishwavidyalaya; and
- (xv) to Exercise such other powers, not inconsistent with the provisions of this Adhiniyam or the statutes, as may be necessary for carrying out the purposes of this Adhiniyam.
- Meeting of Executive Council.** 24. (1) The Executive Council shall meet at such times and places and shall subject to the provisions of sub-section (2) and (3), observe such rules of procedure in regard to transaction of business at its meetings including the quorum at meetings as may be prescribed:
- Provided that the Executive Council shall meet as least once in three months.
- (2) The Vice-Chancellor shall preside over a meeting of the Executive Council.
- (3) All questions at any meeting of the Executive Council shall be decided by a majority of votes of the members present and voting and in the case of any equality of votes, the Vice-Chancellor or the member presiding, as the case may be, shall have and exercise a second or casting vote.
- (4) The Executive Council may, for purposes of consultation, invite any person having special knowledge or practical experience in any subject under consideration to attend any meeting and such person may speak and otherwise take part in the proceedings of such meeting, but shall not be entitled to vote.
- The Academic Council.** 25. The Academic Council shall be the academic authority of the Vishwavidyalaya and shall, subject to the provisions of the statutes, have the control and general regulation of teaching, research, development and extension and examinations in the Vishwavidyalaya and shall be responsible for the maintenance of the standards thereof.
- Constitution of Academic Council.** 26. (1) The Academic Council shall consist of the following members, namely :—
- Ex-Officio Members—**
- (a) The Vice-Chancellor ;
- (b) The Directors;
- (c) All Deans of Faculty;
- (d) All Deans of College;
- (e) The Registrar-Member Secretary.
- Other Members—**
- (a) Members not exceeding five, from amongst the Heads of Departments to be nominated by the Vice-Chancellor, on rotational basis;
- (b) Three persons having special knowledge of or practical experience in different aspects of veterinary and animal sciences, preferably representatives of Indian Council of Agricultural Research and Veterinary Council of India to be nominated by the Vice-Chancellor.
- (2) The Vice-Chancellor shall be the ex-officio Chairman of the Academic Council and the Registrar shall be the ex-officio Secretary of the Academic Council.
- (3) The term of office of the members of the Academic Council, other than the ex-officio members, shall be three years.

- (4) The members of the Academic council shall not be entitled to receive any remuneration from the Vishwavidyalaya except such sitting fees, daily and travelling allowances as may be prescribed:

Provided that nothing contained in the sub-section shall preclude any member from drawing his normal emoluments or allowances to which he is entitled by virtue of the office he holds.

- (5) A member of the Academic Council other than the ex-officio members may tender resignation of his membership at any time before the expiry of the term of his office and such resignation shall be conveyed to the Chancellor by a letter in writing by the member and the resignation shall take effect from the date of its acceptance by the Chancellor.

27. Subject to the provisions of this Adhiniyam and the Statutes, Academic Council shall :—

Powers and functions of Academic Council.

- (i) Generally regulate and have the control of, and be responsible for, the maintenance of standards of teaching, research and examination of the Vishwavidyalaya and for laying down the requirement for obtaining degrees;
- (ii) Advise the Executive Council and other authorities of the Vishwavidyalaya on all academic matters to make Statutes, Ordinances and regulations regarding—
  - (a) the admission of student to the Vishwavidyalaya and the number of students to be admitted;
  - (b) the courses of study leading to degrees, diplomas and other academic distinctions; and
  - (c) the conduct of examinations and maintenance and promotion of standards of education.
- (iii) Advise the Executive Council on all academic matters including the control and management of libraries;
- (iv) Make recommendations to the Executive Council for the institution of teaching, research and extension education posts and in regard to the duties thereof;
- (v) Formulate, modify or revise schemes for the constitution or reconstitution of departments of teaching, research and extension education;
- (vi) Make recommendations to the Executive Council regarding teaching, research and extension education;
- (vii) Make recommendations to the Executive Council regarding the qualifications to be prescribed for teaching, research and extension education posts in the Vishwavidyalaya;
- (viii) Make recommendations to the Executive Council for the conferment of honorary degrees or other distinctions;
- (ix) Exercise such other powers and perform such other functions as may be prescribed; and
- (x) Propose draft to the Executive Council for making, amending or repealing Ordinances.

28. (1) The Vishwavidyalaya shall have one or more faculties as may be prescribed by the Statute.

The Faculties.

- (2) Each faculty shall consist of Dean and such other members and shall have such powers and perform such duties as may be prescribed by the statute.
  - (3) Each faculty shall have such departments as may be assigned to it by the Adhinyam.
  - (4) Dean of Faculty shall be appointed as per provisions of such-section (1) of Section 17.
  - (5) Dean of Faculty shall be the Chairman of the faculty and shall be responsible for the implementation of the Statute, the Ordinance and the Regulation relating to the faculty and for the conduct and maintenance of standards of teaching, research and extension.
  - (6) In addition to the faculties the Vishwavidyalaya shall have one "Centre for Kamdhenu and Panchgavya Research and Extension" for conducting research, developing technologies and providing training exclusively in the field of Kamdhenu and Panchgavya sciences and technology, the constitution, functions and activities of which shall be prescribed by the statutes, ordinances and regulations that may be made in this behalf.
- The Board of Studies.** 29. There shall be a Board of studies for one or more faculties, constitution and functions of which shall be such as may be prescribed.
- Finance Committee.** 30. (1) The Executive Council shall appoint a Finance Committee consisting of the following members, namely :—
- (a) the Vice-Chancellor;
  - (b) the Secretary to Government in-charge of Animal Husbandry, Dairy and Fisheries Department (s);
  - (c) the Secretary(s) to Government in-charge of Finance Department(s);
  - (d) One member chosen by the Executive Council from amongst its non official members; and
  - (e) Finance Officer.
- (2) In case the Secretary to Government in-charge of Animal Husbandry, Dairy and Fisheries or Finance Department is unable to attend a meeting of the Finance Committee, for any reasons, he may depute any officer of his department or his nominee not below the rank of Deputy Secretary to Government to attend the meetings, and the officer so deputed shall have the right to take part in the discussion of the meetings but shall not have the right to vote.
  - (3) The Vice-Chancellor shall be the ex-officio Chairman of the Finance Committee and the Finance Officer shall be the ex-officio Secretary of the Finance committee.
  - (4) The Finance Committee shall:
    - (a) examine the annual accounts and the annual financial estimates of the Vishwavidyalaya and advise the Executive Council thereon;
    - (b) review the financial position of the Vishwavidyalaya from time to time;
    - (c) make recommendation to the Executive Council on every proposal involving expenditure for which no provision has been made in the annual financial estimates or which involves expenditure in excess

- (b) make recommendation to the Executive Council on all matters relating to the finances of the Vishwavidyalaya; and
- (e) perform such other function as may be prescribed.

31. The Executive Council may constitute such other authorities of the Vishwavidyalaya as may be necessary in the manner prescribed by the statutes. Constitution of other authorities.

**CHAPTER-V**  
**Funds and Accounts**

32. The Vishwavidyalaya shall have a Vishwavidyalaya Fund to which shall be credited its income from fees, endowments, grants, donations and gifts, if any; and any contribution or grant made by the Central Government, State Government, the Vishwavidyalaya Grants Commission established under section 4 of the University Grants Commission Act, 1956 (No. 3 of 1956) or authority alike or any local authority or any corporation owned or controlled by such Government. Vishwavidyalaya Fund.

33. The Vishwavidyalaya may have such other funds as prescribed. Other funds.

34. The funds and all moneys of the Vishwavidyalaya shall be managed in such manner as prescribed. Management of Funds.

35. (1) The Government shall, every year, make non-lapsable lump sum recurring and non recurring grants to the Vishwavidyalaya to meet such additional expenditure, as the Government may deem necessary for the proper functioning of the Vishwavidyalaya. Grants.

- (2) The Vishwavidyalaya shall furnish such statements, accounts, reports and other particulars relating to any grant made by the Government and its utilization as the Government may require.

36. The Vishwavidyalaya Fund shall be utilized for the following objects: Objects to which Vishwavidyalaya a fund may be applied.
- (i) repayment of debts incurred by the Vishwavidyalaya for the purpose of this Adhinyam and the Statutes, and the Regulations made there under;
- (ii) expenses of any suit or proceedings to which the Vishwavidyalaya is a party;
- (iii) payment of the salaries and allowances of the officers and employees of the Vishwavidyalaya, members of the teaching staff and establishment employed in the colleges and the departments of Vishwavidyalaya for and in furtherance of the purposes of this Adhinyam and the Statutes and Regulations made there under and to the payment of pension or any Provident Fund contribution to any such officers and employees, members of the teaching staff or the members of such establishments;
- (iv) Payment of the travelling and other allowances of the members of the Executive Council and the Academic Council and any other authorities of the Vishwavidyalaya or the members of any Committee appointed by any of the authorities of the Vishwavidyalaya in pursuance of any provisions of the Adhinyam and the Statutes, and the regulations made thereunder;
- (v) Payment of fellowships, scholarships, studentships and other awards to students;
- (vi) upkeep of colleges, departments, residences and hostels;

- (viii) payment of any expense incurred by the Vishwavidyalaya in carrying out the provisions of this Adhiniyam, Statutes, and the Regulations made thereunder; and
- (ix) payment of any other expense, not specified in any of the preceding clauses declared by the Executive Council to be the expense for the purpose of the Vishwavidyalaya.
- Annual Accounts and Audit.** 37. (1) The annual accounts prepared by the Finance Officer shall be submitted to such examination and audit as the Government may direct and a copy of the annual accounts and audit report shall be submitted to the Government.
- (2) The Vishwavidyalaya shall settle objections raised in the audit and carry out such instructions as may be issued by the Government on the audit report.
- (3) The Government shall cause the annual accounts and the audit report to be laid before the Vidhan Sabha together with their comments.
- (4) The Finance Officer shall, before such date as prescribed, prepare the annual financial estimates for the ensuing year.
- (5) The annual accounts and the annual financial estimates prepared by Finance Officer shall be placed before the Executive Council together with the remarks of the Finance committee for approval at its annual meeting and the Executive Council may pass resolution with reference thereto and communicate the same to the comptroller who shall take action in accordance therewith.

#### CHAPTER-VI Conditions of Service

- Pensions gratuity, etc.** 38. (1) The Vishwavidyalaya shall institute for the benefit of its officers, teachers and other employees such pension, gratuity, insurance, and provident fund as it may deem fit, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by the Government from time to time.
- Explanation—** For the purposes of this section and section 7, the word "Officer" shall not include the Chancellor of the Vishwavidyalaya.
- (2) The Vishwavidyalaya may, in consultation with the Finance Committee, invest the provident fund amount in any Nationalized Bank of India or Post office.
- Conditions of Service.** 39. (1) Subject to the provisions of this Adhiniyam, the appointment, procedure for selection, pay and allowances and other conditions of service of officers, teachers and other employees of the Vishwavidyalaya shall be such as may be prescribed.
- (2) No person shall be appointed as a salaried teacher of the Vishwavidyalaya, except on the recommendations of a selection committee constituted for the purpose in accordance with the provisions of the statutes.
- (3) The payment of salaries to the officers, teachers and other employees of the Vishwavidyalaya shall be in accordance with the scales fixed by statute with prior approval of the state Government.
- (4) The number of officers, teachers and other employees of the Vishwavidyalaya and the method of their selection shall, unless otherwise provided in this Adhiniyam be such as may be prescribed.

**CHAPTER-VII**  
**Statutes, Ordinances and Regulations**

40. Subject to the provisions of this Act, the statutes may provide for all or any of the following matters, namely :—
- Statutes.
- (i) The conditions under which the research in the Vishwavidyalaya may be carried on;
  - (ii) the manner in which and the conditions under which the honorary degrees and other distinctions may be conferred;
  - (iii) the fixation, payment and receipt of fees and other charges;
  - (iv) the prescription of academic qualifications and standards for admission to the Vishwavidyalaya;
  - (v) the terms and conditions subject to which the Registrar may be appointed and his powers, functions and duties;
  - (vi) the terms and conditions subject to which the Finance Officer may be appointed and his powers, functions and duties;
  - (vii) the terms and conditions subject to which the Directors may be appointed and their powers and duties;
  - (viii) the daily and travelling allowances to be paid to the members of the Executive Council, Academic council and other authorities of the Vishwavidyalaya and the Committees thereof;
  - (ix) the assignment of subjects of study for each faculty;
  - (x) the constitution, powers and functions of Faculties;
  - (xi) the constitution, powers and functions of the Board of Studies;
  - (xii) the constitution, powers and functions of the other authorities of the Vishwavidyalaya;
  - (xiii) the manner in which the Dean of each faculty may be appointed;
  - (xiv) the establishment and management of the funds and moneys of the Vishwavidyalaya;
  - (xv) the manner of publication of the accounts audited;
  - (xvi) the period for which and the manner in which the instruction, teaching and training and holding examinations shall be conducted for the students referred to in sub-section (b) of Section 42; and
  - (xvii) any other matter which is required to be or may be prescribed.
41. (1) The Executive Council may, from time to time, make statutes and amend or repeal the statutes in the manner hereinafter provided in this section.
- Statutes how made.
- (2) The Academic Council may propose to the Executive Council, the draft or any statute or of any amendment to, or of repeal of a statute to be passed by the Executive Council and such draft shall be considered by the Executive Council at its next meeting.

- (3) The Executive Council may consider the draft proposed by the Academic Council under sub-section (2) and may either pass or reject or return the draft with or without amendment to the Academic Council for reconsideration.
- (4) (a) Any member of the Executive Council may proposed to the Executive Council the draft of a statute and the Executive Council may either accept or reject the draft, if it relates to a matter not falling within the purview of the Academic Council.
- (b) In case such draft relates to a matter within the purview of the Academic Council, the Executive Council shall refer it for consideration of the Academic Council, which may either report to the Executive Council that it does not approve the draft or submit the draft to the Executive Council in such form as the Academic Council may approve and the Executive Council may either approve, with or without amendment, or reject the draft.
- (5) A statute passed by the Executive Council shall be submitted to the Chancellor who may assent thereto or with hold his assent and a statute passed by the Executive Council shall have no validity unless it has been assented to by the Chancellor.

## Ordinances.

42. Subject to the provisions of this Adhiniyam and the statutes, the ordinances may provide for all or of the following matters, namely :—
- (a) the conduct of examinations including the appointments of examiners and their terms and conditions;
- (b) the admission of the students to the Vishwavidyalaya and their enrolment and continuance as such and the conditions and procedures for dropping students from enrolment;
- (c) the fees which may be charged by the Vishwavidyalaya;
- (d) the courses of study to be laid down for all degrees, diplomas and other distinctions;
- (e) the conditions under which students shall be admitted to the degrees diplomas or other courses and examinations of the Vishwavidyalaya and their eligibility for the award of degrees and diplomas;
- (f) the condition of conferment of degrees, diplomas and other academic distinctions;
- (g) the maintenance of discipline among the students of the Vishwavidyalaya;
- (h) the special arrangements, if any which may be made for residence, discipline and teaching women students;
- (i) the conditions of residence of students of the Vishwavidyalaya and the levy of fees for hostel;
- (j) the recognition and management of hostels not maintained by the Vishwavidyalaya; and
- (k) any other matter required by Adhiniyam or Statutes to be dealt by or under the Ordinance of the Vishwavidyalaya.

- (2) No Ordinance concerning the academic matters shall be made by the Executive Council unless a draft thereof has been proposed by the Academic Council.
- (3) The Executive Council shall not have the power to amend any draft proposed by Academic Council under sub-section (2) but may reject or return it to the Academic Council for reconsideration, in part or in whole, together with any amendment which Executive Council may suggest.
- (4) All ordinances made by the Academic Council shall have effect from such date as it may direct, but every ordinance so made shall be submitted to the Chancellor within two weeks. The Chancellor shall have the power to direct the Executive Council, within four weeks of the receipt of the ordinance to suspend its operation, and he/she shall, as soon as possible, inform the Executive Council of his or her objection to it, he or she may after receiving comments of the Executive Council either withdraw the order suspending the ordinance or disallow the ordinance and his or her decision shall be final.
44. (1) Subject to the provisions of this Adhiniyam and statutes, the authorities of the Vishwavidyalaya may make regulations consistent with this Adhiniyam to provide for all or any of the following matters, namely :—
- (a) the appointment, procedure for selection, pay and allowances and other conditions of service of officers, teachers and other employees of the Vishwavidyalaya;
- (b) the giving of notice to the members of any authority of the Vishwavidyalaya the dates of the meetings and the business to be transacted at the meetings and for keeping record of the proceedings of the meetings;
- (c) the procedure to be observed at the meetings and the number of members required to form the quorum; and
- (d) any other matter which is required to be or may be prescribed by regulations.
- (2) The Academic Council may, subject to the provisions of the statutes, make regulations providing for the courses of study, system of examinations and award of degrees, diplomas and other academic distinctions of the Vishwavidyalaya, after receiving the drafts of the same from the board of studies concerned.
- (3) The Executive Council may issue such directions as it may think fit to the authority concerned to amend any regulation.

Regulations.

## CHAPTER-VIII

## Transfer of Colleges and Institutions, Employees and Funds

45. (1) Notwithstanding anything contained in the Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1987 (No. 20 of 1987), or the statutes, regulations and orders made thereunder, on and from the commencement of this Adhiniyam, the Colleges mentioned in the Schedule shall stand transferred to, and maintained by, the Vishwavidyalaya as constituent college and institutions along with the movable and immovable property of the Vishwavidyalaya.
- (2) On and from the commencement of this Adhiniyam, the control and management of the colleges and institutions specified in sub-section (1) and all properties, assets and liabilities of the Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya, in relation thereto shall stand transferred to, and vest in the Vishwavidyalaya.

Transfer of certain colleges and institutions to Vishwavidyalaya.

- (3) The Government may, at any time after the commencement of this Adhiniyam, transfer to the Vishwavidyalaya any of its lands for the use of the Vishwavidyalaya on such terms and conditions as it may deem proper.
- (4) The Government may, at any time after the commencement of this Adhiniyam, transfer to the Vishwavidyalaya, the control and management of any of its colleges or institutions on such terms and conditions as it may deem fit.
- (5) Notwithstanding anything contained in any other Act for the time being in force, relating to the establishment of a Vishwavidyalaya in the State or the statutes, regulations and orders made there under, on and from the date to be specified by the Government, the colleges and institutions referred to in sub-section (1) shall stand de-affiliated preceding such specified date and shall be deemed to be colleges or institutions affiliated to the Vishwavidyalaya and the provisions of this Adhiniyam shall, as far as may be, apply accordingly.
- Special provision for admission and conferment of degrees. 46. Notwithstanding anything contained in this Adhiniyam, the statutes or regulations, every student of the colleges specified in sub-section (1) of Section 45 immediately before the commencement of this Adhiniyam was studying in such colleges or was eligible to be admitted to any examination held or conducted by the Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya and shall be permitted to complete his course of study or be admitted to the examination of the Vishwavidyalaya and the Vishwavidyalaya shall make arrangements:
- (a) for the instruction, teaching, training and holding examination for such student for such period and in such manner as may be determined by the first Vice-Chancellor in accordance with the course of study in the Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya; and
- (b) for the conferment of the corresponding degree, diploma or other academic distinction of the Vishwavidyalaya upon the qualified student on the result of such examination.
- Transfer of service of certain employee. 47. (1) Every person who, immediately before the commencement of this Adhiniyam, is serving in the colleges and institutions of the Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya which shall get transferred to the Chhattisgarh Kamdhenu Vishwavidyalaya shall, as from the said day, become an employee of the Chhattisgarh Kamdhenu Vishwavidyalaya.
- (2) (a) As soon as may be, after the commencement of this Adhiniyam, the Government may, after consulting the Vice-Chancellor of the Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya and the Chhattisgarh Kamdhenu Vishwavidyalaya, direct, by general or special order, that such employees of the Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya and as are specified in such order, shall stand allotted to serve in connection with the affairs of the Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya and or Chhattisgarh Kamdhenu Vishwavidyalaya with effect from such date as shall be specified in such order;
- (b) With effect on and from the date specified in the order under clause (a) of sub-section (2), the persons specified in such order shall become employees of the Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya or Chhattisgarh Kamdhenu Vishwavidyalaya and those transferred to the Chhattisgarh Kamdhenu Vishwavidyalaya, shall cease to be employees of the Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya, as the case may be.
- (3) Every person referred to in sub-section (1) shall hold office under the Chhattisgarh Kamdhenu Vishwavidyalaya for the same tenure and at the same remuneration and upon the same right and privilege as to pension or gratuity,

if any, and other matters as he would have held on the commencement of this Adhinyam or the date specified in the order under clause (a) of sub-section (2), as the case may be, as if this Adhinyam had not come into force.

- (4) The liabilities to pay pension and gratuity and accumulated superannuation fund or other like funds, to the person referred to in sub-section (1) shall be the liability of the Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya, and Chhattisgarh Kamdhenu Vishwavidyalaya proportional to the length of service in Vishwavidyalaya's mentioned above.
48. (1) The sums of the credit of the provident fund accounts of the persons referred to in sub-section (3) of section 47 as on the appointed day and of the persons referred to in sub-section (2) of that section as on the date specified in the order under clause (a) of the said sub-section (2) shall be transferred to the Chhattisgarh Kamdhenu Vishwavidyalaya and the liability in respect of the said provident fund accounts shall be the liability of the Chhattisgarh Kamdhenu Vishwavidyalaya.
- (2) There shall be paid to the Chhattisgarh Kamdhenu Vishwavidyalaya out of the accumulations in the superannuation fund and other like funds, if any, of the Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya and or, as the case may be, of the Government such amounts as have been credited to the superannuation fund or other like funds, if any, on behalf of the persons referred to in sub-section (1) and (4) of section 47, and the amounts so paid shall form part of the superannuation fund or other like funds, if any, that may be established by Chhattisgarh Kamdhenu Vishwavidyalaya for the benefit of its employees.
49. (1) The Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya shall, out of its funds as on the commencement of this Adhinyam, pay to the Vishwavidyalaya such amount as the Government may, in consultation with the Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya and Chhattisgarh Kamdhenu Vishwavidyalaya by an order specify.
- (2) The State Government shall make an endeavour to issue the order under sub-section (1) within 18 months of the establishment of the Vishwavidyalaya.

Provident fund, pension and other fund.

Transfer of funds.

#### CHAPTER-IX

#### Emergency Powers of the State Government

50. (1) if the State Government is satisfied that owing to mal administration or financial mismanagement in the Vishwavidyalaya, a situation has arisen where by financial stability of the Vishwavidyalaya has become insecure, it may by notification, declare that the finances of the Vishwavidyalaya shall be subject to the control of the State Government.
- (2) Every notification issued under sub-section (1) shall, in the first instance, remain in operation for a period of one year from the date specified in the notification and the State Government may, from time to time, by a like notification, extend the period of operation by such further period as it may think fit, provided that the total period of operation does not exceed three years.
- (3) During the period of operation of the notification issued under sub-section (1), the executive authority of the State Government shall extend to the giving of directions to the said Vishwavidyalaya to observe such canons of financial propriety as may be specified in the direction and to the giving of such other directions as the State Government may deem necessary and adequate for the purpose.

State Government to assume financial Control in certain circumstances.

- (4) Notwithstanding anything contained in this Adhiniyam, any such direction may include provision requiring—
- (a) the submission of the budget to the State Government for sanction;
  - (b) the Vishwavidyalaya to submit every proposal involving financial implications to the State Government for sanction;
  - (c) the submission of every proposal for revision of scales of pay and rates of allowances of the officers, teachers and other persons employed by the Vishwavidyalaya to the State Government for sanction.
  - (d) the reduction of salaries and allowances of all or any class of persons employed by the Vishwavidyalaya;
  - (e) the lowering down of scales of pay and rates of allowances, and
  - (f) in regard to such other matters as may have the effect of reducing the financial strain on the Vishwavidyalaya.
- (5) Notwithstanding anything contained in this Adhiniyam, it shall be binding on every authority of the Vishwavidyalaya and every officer of the Vishwavidyalaya to give effect to the direction given under this section.
- (6) Every officer of the Vishwavidyalaya shall be personally liable for misapplication of any fund or property of the Vishwavidyalaya as a result of non-compliance of the direction given under this section to which he shall have been a party or which shall have happened through or been facilitated by gross neglect of his duty as such officer and the loss so incurred shall, on a certificate issued by the Secretary in charge of Animal Husbandry Department, be recovered from such officer as an arrears of land revenue:

Provided that no action to recover the amount of loss as an arrear of land revenue shall be taken until reasonable opportunity has been given to the person concerned to furnish an explanation and such explanation has been considered by the Government.

Special provision for better administration of Vishwavidyalaya in certain circumstances.

51. (1) If the State Government, on receipt of report or otherwise is satisfied that a situation has arisen in which the administration of the Vishwavidyalaya cannot be carried out in accordance with the provisions of the Adhiniyam, without detriment to the interests of the Vishwavidyalaya, and it is expedient in the interest of the Vishwavidyalaya so to do, it may by notification, for reasons to be mentioned there in, direct that the provisions of sub-section (2), (3), (4) and (5) shall, as from the date specified in the notification (hereinafter in this section referred to as the appointed date) apply to the Vishwavidyalaya.
- (2) The notification issued under sub-section (1) (herein after referred to as the notification) shall remain in operation for a period of one year from the appointed date and the State Government may, from time to time, extend the period by such further period as it may think fit:

Provided that the total period of operation of the notification shall not exceed three years.

- (3) As from the appointed date, the Vice-Chancellor holding office immediately before the appointed date, shall notwithstanding that his term of office has not expired, vacate his office, and the Chancellor shall, simultaneously with the issuance of the notification, appoint another person as Vice Chancellor in consultation with the State Government and the Vice Chancellor so appointed shall hold office during the period of operation of the notification:

Provided that the Vice-Chancellor so appointed may notwithstanding the expiration of the period of operation of the notification continue to hold office thereafter until his/successor enter upon office up to a maximum period of six months.

- (4) As from the appointed date, the following consequences shall ensue, namely :—
- (a) Every person holding office as a member of Executive Council, or the Academic Council, as the case may be, immediately before the appointed date shall cease to hold that office.
- (b) Until the Executive Council or the Academic Council, as the case may be, is reconstituted, the Vice-Chancellor appointed under sub-section (3) shall exercise the powers and perform the duties conferred or imposed by or under this Adhiniyam, on the Executive Council or the Academic Council :

Provided that the Chancellor may, if he considers it necessary so to do, appoint, in consultation with the State Government, a committee consisting of an educationist, an administrative expert and a financial expert to assist the Vice-Chancellor appointed under sub-section (3) in exercise of such powers and performance of such duties.

- (5) Before the expiration of the period of operation of the notification or as early as may be practicable thereafter, the Vice-Chancellor shall take steps to constitute the Executive Council and the Academic Council in accordance with the provisions of the Adhiniyam, and the Executive Council and the Academic Council so constituted shall begin to function on the date immediately following the date of expiry of the period of operation of the notification or the date on which the respective bodies are so constituted, whichever is later.

Provided that if the Executive Council and Academic Council are not constituted before the expiration of the period of operation of the notification, the Vice-Chancellor shall on such expiration, exercise the powers of each of these authorities subject to prior approval of the Chancellor till the Executive Council or Academic Council, as the case may be, is so constituted.

#### CHAPTER-X Miscellaneous

52. (1) The Chancellor shall have the right to cause an inspection, to be made by such person or persons as he may direct, of—
- (a) the Vishwavidyalaya, its buildings, laboratories, libraries, museums, workshops and equipments;
- (b) any college, institution or hostel maintained by the Vishwavidyalaya;
- (c) the teaching and other work conducted or done by the Vishwavidyalaya; or
- (d) the conduct of any examination held by the Vishwavidyalaya.
- (2) The Chancellor shall also have the right to cause an inquiry to be made by such person or persons as he may direct in respect of any matter connected with the administration or finance of the Vishwavidyalaya.

Inspection and Enquiry.

- (3) The Chancellor shall, in every case, give notice to the Vishwavidyalaya of his intention to cause an inspection or inquiry to be made and the Vishwavidyalaya shall be entitled to be represented at such inspection or inquiry.
- (4) The Chancellor shall communicate to the Vishwavidyalaya his views with reference to the result of such inspection or inquiry and may, after ascertaining the opinion of the Vishwavidyalaya therein, advise the Vishwavidyalaya upon the action to be taken and fix a time limit for taking such action.
- (5) The Vishwavidyalaya shall, within the time limit so fixed, report to the Chancellor the action taken or proposed to be taken on the advice tendered by the Chancellor.
- (6) If the Vishwavidyalaya does not take action within the time limit fixed or if the action taken by the Vishwavidyalaya is in the opinion of the Chancellor not satisfactory, the Chancellor may, after considering any explanation offered or representation made by the Vishwavidyalaya, issue such direction as he may deem fit and the Vishwavidyalaya shall comply with such direction.
- (7) If the Vishwavidyalaya does not comply with such direction within such time as may be fixed in that behalf by the Chancellor, the Chancellor shall have power to appoint any person or body to comply with such direction and make such order as may be necessary for the expenses thereof.
- Annual Report.** 53. (1) The annual report of the Vishwavidyalaya shall be prepared under the Direction of the Vice-Chancellor and submitted to the Executive Council at least one month before the annual meeting at which it is to be considered.
- (2) The Executive Council shall, after considering the annual report, forward a copy thereof to the Government.
- (3) On receipt of a copy of the annual report, the Government shall cause a copy of such report together with their comments thereon to be laid before the Vidhan Sabha.
- Dispute over nomination to Vishwavidyalaya with authorities and bodies.** 54. If any question arises whether any person has been duly nominated as, or is entitled to be a member of any authority of the Vishwavidyalaya or other body of the Vishwavidyalaya, the question shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.
- Disqualification for membership.** 55. (1) No person shall be qualified for nomination as member of any of the authorities of the Vishwavidyalaya, if, on the date of such nomination he is :—
- (a) of unsound mind or
- (b) an applicant to be adjudicated as an insolvent or an undischarged insolvent; or
- (c) sentenced by a criminal court to imprisonment for any offence involving moral turpitude.
- (2) In case of dispute or doubt as to whether a person is disqualified under subsection (1), the Executive Council shall refer such case to the Chancellor, whose decision shall be final.
- Fill up of casual vacancies.** 56. All casual vacancies among the members (other than ex-officio members) of any authority or other body of the Vishwavidyalaya shall be filled, as soon as may be, by the person or body who or which nominated the member whose place has become vacant and the persons nominated to a casual vacancy shall be a member of such authority or

body for the remainder of the term for which the member whose place he fills would have been a member:

Provided that no casual vacancy shall be filled, if such vacancy occurs within six months before the date of the expiry of the term of the members of any authority or other body of the Vishwavidyalaya.

57. (1) The Executive Council may remove, by an order in writing made in this behalf, any person from membership of any authority of the Vishwavidyalaya by a resolution passed by a majority of the total membership of the Executive Council and by a majority of not less than two third of the members of the Executive Council present an voting at the meeting, if such person has been convicted by a criminal court on an offence which in the opinion of Executive Council involves moral turpitude or if he has been guilty of gross misconduct and for the same reason the Executive Council may withdraw any degree or diploma or other academic distinction conferred on, or granted to, that person by the Vishwavidyalaya. Removal from membership.
- (2) The Executive Council may also by an order in writing made in this behalf remove any person from the membership of any authority of the Vishwavidyalaya if he becomes of unsound mind or has applied to be adjudication or has been adjudicated as an insolvent.
- (3) No action under this section shall be taken against any person unless he has been given a reasonable opportunity to show cause against the action proposed to be taken.
- (4) A copy of every order passed under sub-section (1) or sub-section (2), as the case may be shall, as soon as may be after it is so passed, be communicated to the person concerned in the manner prescribed.
58. All the authorities of the Vishwavidyalaya shall have power to constitute or reconstitute committees and to delegate to them such of their powers as they deem fit and such committees shall save as otherwise provided, consist of members of the authority concerned and of such other persons, if any, as the authority in each case may think fit. Constitution of committees and delegation of powers.
59. No action or proceeding of any authority or other body of the Vishwavidyalaya shall be invalidated merely by reason of the existence of any vacancy or of any defect or irregularity in the appointment of a member of any authority or of other body of the Vishwavidyalaya or of any defect or irregularity in any such action or proceeding not affecting the merits of the case or on the ground only that the Executive Council did not meet once in every three months. Proceedings not to be invalidated by reason of vacancy.
60. The Vice-Chancellor, the Registrar, the Comptroller, the Deans and the Directors and other employees of the Vishwavidyalaya all be deemed, when acting or purporting to act in pursuance of any of the provision of the Adhiniyam, to be public servants within the meaning of Section 20 of the Indian Penal Code, 1860 (No. 45 of 1860). Authorities to be public servant.
61. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Adhiniyam, the State Government may by order published in official Gazette not inconsistent with the provision of this Adhiniyam remove the difficulty: Removal of difficulties.
- Provided that no such order shall be issued after the expiry of two years from the appointed day.
- (2) Every notification issued under sub-section (1) or under any other provisions of this Adhiniyam shall as soon as possible after it is issued be placed on the table of the Vidhan Sabha, and if before the expiry of the session in which it is so placed or the next session the Vidhan Sabha makes any modification in any such notification or the assembly decides that the notification should not

be issued the notification shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect as the case may be, however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity or anything previously done under the notification.

- Saving. 62. (1) On and from the commencement of this Adhiniyam, the provisions of the Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1987 (No. 20 of 1987) (hereinafter in this section referred as the said Adhiniyam) shall cease to apply in respect of the colleges and the institutions to which this Adhiniyam applies.
- (2) Such cessor shall not affect—
- (a) the previous operation of the said adhiniyam; or
- (b) any penalty forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against the said adhiniyam; or
- (c) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of such penalty forfeiture or punishment and any such investigation legal proceeding or remedy may be instituted, continue or enforced and any such penalty forfeiture or punishment may be imposed as if this Adhiniyam has not been passed.
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) all statutes and regulations made under the Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1987 and in force on the appointed day, shall in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Adhiniyam, continue to be in force until they are repealed by statutes and regulations to be made under this Adhiniyam.

THE SCHEDULE  
[Section I (3)]

Colleges of the Vishwavidyalaya

S. No.	Name of the College	Place
1.	College of Veterinary Science and Animal Husbandry.	Anjora, Durg
2.	College of Dairy Technology	Raipur
3.	College of Fisheries	Kabeerdham

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 138 ]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 20 अप्रैल 2017— चैत्र 30, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2017

क्रमांक 3661/डी. 81/21-अ/प्रारू./छ. ग./17. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 11-04-2017 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

## छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 3 सन् 2017)

### छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017

छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (क्र. 21 सन् 2011) में और संशोधन करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अडसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- |  |    |  |
|--|----|--|
| संक्षिप्त नाम,<br>विस्तार तथा प्रारंभ. | 1. | (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहलाएगा.<br><br>(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.<br><br>(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.   |
| धारा 9 का संशोधन.                      | 2. | छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (क्र. 21 सन् 2011) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में, धारा 9 में, उप-धारा (3) में,-<br><br>(एक) शब्द “एवं दूसरी कालावधि के लिये पुनर्नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा” के स्थान पर, शब्द “एवं दो से अधिक कालावधि के लिये नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा” प्रतिस्थापित किया जाये; और<br><br>(दो) प्रथम परन्तुक में, शब्द “पेंसठ” के स्थान पर, शब्द “सत्तर” प्रतिस्थापित किया जाये.  |
| धारा 10 का संशोधन.                     | 3. | मूल अधिनियम की धारा 10 में, उप-धारा (1) में, शब्द एवं विराम चिन्ह “परन्तु, इस प्रकार नियुक्त कुलपति दूसरी कालावधि के लिये पुनर्नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा,” के स्थान पर, शब्द एवं विराम चिन्ह “परन्तु यह कि इस प्रकार नियुक्त कुलपति अधिनियम की धारा 9 के अधीन पुनर्नियुक्त होने के लिये पात्र हो सकेगा” प्रतिस्थापित किया जाये.  |
| धारा 22 का संशोधन.                     | 4. | मूल अधिनियम की धारा 22 में, उप-धारा (2) में,-<br><br>(क) शीर्षक “पदेन सदस्य” के नीचे,-<br><br>(एक) प्रविष्टि (चार) में, शब्द “सभी संचालकगण,” के स्थान पर, शब्द “एक संचालक, जैसा कि राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाये” प्रतिस्थापित किया जाये;<br><br>(दो) प्रविष्टि (पांच) में, शब्द “सभी संकायों के अधिष्ठाता,” के स्थान पर, शब्द “एक संकाय का अधिष्ठाता जैसा कि राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाये” प्रतिस्थापित किया जाये; और<br><br>(तीन) प्रविष्टि (छः) में, शब्द “सभी महाविद्यालयों के अधिष्ठाता,” के स्थान पर, शब्द “एक महाविद्यालय का अधिष्ठाता, जैसा कि राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाये” प्रतिस्थापित किया जाये.<br><br>(ख) शीर्षक “अन्य सदस्य” के नीचे,-<br><br>(एक) प्रविष्टि (तीन) में, शब्द “एक” के स्थान पर, शब्द “दो” प्रतिस्थापित किया जाये; |

- (दो) प्रविष्टि (पांच ) में, शब्द “दुग्ध अथवा पंचगव्य-उत्पादन या प्रसंस्करण से संबद्ध उद्योग का एक प्रतिनिधि” के पश्चात्, शब्द “एवं पशुधन संवर्धन तथा संरक्षण से एक प्रतिनिधि” अन्तःस्थापित किया जाये; और
- (तीन) प्रविष्टि (छः) में, शब्द “एक” के स्थान पर, शब्द “दो” प्रतिस्थापित किया जाये.

5. मूल अधिनियम की धारा 51 में, उप-धारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

धारा 51 का संशोधन.

- “(6) विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में छात्रसंघ का चुनाव छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार; विद्या परिषद् की अनुशंसा पर कार्य परिषद् द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुसार कराये जायेंगे.”

रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2017

क्रमांक 3661/डी. 81/21-अ/प्रारू./छ. ग./17.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20-4-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT  
(No. 3 of 2017)

THE CHHATTISGARH KAMDHENU VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN)  
ADHINIYAM, 2017

An Act further to amend the Chhattisgarh Kamdhenu Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2011  
(No. 21 of 2011).

Be it enacted by the Chhattisgarh legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of India, as follows :-

- |    |      |   |                                       |
|----|------|---|---------------------------------------|
| 1. | (1)  | This Act may be called the Chhattisgarh kamdhenu Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2017.  | Short title, extent and commencement. |
|    | (2)  | It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.   |                                       |
|    | (3)  | It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.  |                                       |
| 2. |      | In the Chhattisgarh kamdhenu Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2011 (No. 21 of 2011), (hereinafter referred to as the Principal Act), in Section 9, in sub-section (3),-                     | Amendment of Section 9.               |
|    | (i)  | for the words “and shall not be eligible for reappointment for another term”, the words “and shall not be eligible for appointment for more than two terms” shall be substituted; and |                                       |
|    | (ii) | in the first proviso, for the words “sixty five”, the word “seventy” shall be substituted.  |                                       |

- Amendment of Section 10.** 3. In Section 10 of the Principal Act, in sub-section (1), for the words and punctuation "Provided that, the Vice-Chancellor so appointed shall not be eligible for reappointment for a another term.", the words and punctuation "Provided that, the Vice-Chancellor so appointed may be eligible for reappointment under Section 9 of the Act." shall be substituted.
- Amendment of Section 22.** 4. In Section 22 of the Principal Act, in sub-section (2),-
- (a) under heading "Ex-Officio Member",-
- (i) in entry (iv), for the words "All Directors", the words "One Director, as nominated by the State Government" shall be substituted;
- (ii) in entry (v), for the words "All Deans of Faculties", the words "Dean of one Faculty as nominated by the State Government" shall be substituted; and
- (iii) in entry (vi), for the words "All Deans of Colleges", the words "Dean of one college, as nominated by the State Government" shall be substituted.
- (b) Under the heading "Other Members",
- (i) in entry (iii), for the word "one", the word "two" shall be substituted;
- (ii) in entry (v), after the words "industries connected with dairy", the words " and one representative of livestock production and conservation" shall be inserted; and
- (iii) in entry (vi), for the word "one", the word "two" shall be substituted.
- Amendment of Section 51.** 5. In Section 51 of the Principal Act, after sub-section (5), the following shall be added, namely :-
- "(6) Election of student union at University and College level shall be held in accordance with the regulations to be framed by the Executive Council on the recommendation of the Academic Council; as per the guidelines of Government of Chhattisgarh issued from time to time."